

<mark>पहली</mark> FIRST

# अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

# केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए

FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

# 2020-2021

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

सितम्बर, September, 2020

# परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2020-2021.

वर्ष 2020-21 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 54 अनुदान मांगें तथा 1 विनियोग हैं। ₹2,35,852.87 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹1,66,983.91 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹68,868.33 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹63 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

(₹९ करोड़) हेतु खर्चों को पूरा करने के

लिए।

#### INTRODUCTORY NOTE

**Subject :** First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2020-2021.

The First batch of Supplementary Demands for Grants for 2020-21 includes 54 Grants and 1 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹2,35,852.87 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹1,66,983.91 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹68,868.33 crore. Besides, token provision of ₹63 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

13.00

13.00

		(4) tig tig Kupees in Crore)			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
नकद व्यय	Cash Outgo				
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE				
1 कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare				
(क) 1. सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) सामान्य घटक (₹19.90 करोड़) तथा सब्सिडी (₹119.83 करोड़) (ii) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹4.48 करोड़) एवं सब्सिडियां (₹26.59 करोड़) तथा (iii) जनजाति क्षेत्र उपयोजना घटक (₹2.32 करोड़) एवं सब्सिडियां (₹13.78 करोड़) तथा 2. कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत कार्यालय व्यय (₹0.30 करोड़) के प्रति खर्चों को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expediture towards 1. Grants-in-aid General for (i) General Component (₹19.90 crore) and Subsidies (₹119.83 crore) (ii) Special Component Plan for Scheduled Castes (₹4.48 crore) and subsidies (₹26.59 crore) and (iii) Tribal Area Sub Plan Component (₹2.32 crore) and Subsidies (₹13.78 crore) and 2. Office Expenses (₹0.30 crore) under the scheme Agriculture				
(ख) (i) कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन के तहत सामान्य घटक (₹1.50 करोड़) (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/तिलहन एवं पाम तेल के तहत जनजातीय उप-योजना घटक (टीएसपी) (₹18.52 करोड़) (iii) मृद्रा स्वास्थ्य एवं उपजता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना के तहत सामान्य घटक (₹28.85 करोड़) (iv) सामान्य घटक (₹3 करोड़) तथा कृषि अवसंरचना कोष की योजना के तहत सब्सिडियां (₹17.80 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु खर्चों को पूरा करने के लिए।	Infrastructure Fund.  (b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) General Component under Sub-Mission on Agricultural Mechanization (₹1.50 crore) (ii) Tribal Area Sub-Plan (TSP) Component under National Food Security Mission - Oilseeds and Oil Palm (₹18.52 crore) (iii) General Component (₹28.85 crore) under National Project on Management of Soil Health and Fertility (iv) General Component (₹3 crore) and subsidies (₹17.80 crore) under the scheme of	187.20		187.20	
(ग) पौध सुरक्षा तथा पौध संगरोध पर उपिमशन के तहत टिड्डी नियंत्रण कार्यों के लिए मोटर वाहन (₹4 करोड़) तथा मशीनरी एवं उपकरण	Agriculture Infrastructure Fund.  (c) For meeting expenditure Motor Vehicls (₹4 crore) and Machinery & Equipment (₹9 crore) for locust control operations	7.80		7.80	

under Sub-Mission on Plant Protection

and Plant quarantine.

					es in Crore,
अनु	व्यान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
आर्	र्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI,SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
4.	आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	4 Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
	(क) (i) अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/भागीदारों को भुगतान	(a) For meeting expenditure towards (i)			
	करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को	Other Administrative Expenses under			
	प्रोत्साहन करने की योजना के तहत अन्य	the scheme Promotion of International			
	प्रशासनिक व्यय (₹24.90 करोड़) तथा (ii)	Cooperation for making payment to			
	दिनांक 3 जून, 2020 को आयोजित मंत्रिमंडल	International institutes/partners (₹24.90			
	बैठक में यथा अनुमोदित पीसीआईएम,	crore) and (ii) Pharmacopoeia			
	एचपीएल एवं पीएलआईएम के मौजूदा संगठन	Commission of Indian Medicine &			
	को विलय करने के द्वारा भारतीय औषधि	Homoeopathy (PCIM&H) and			
	एवं होम्योपैथी औषधकोश आयोग	establishment related expenditure of			
	(पीसीआईएम एण्ड एच और नए स्थापित	newly established sub-ordinate office,			
	अधीनस्थ कार्यालयों के स्थापना संबंधी व्यय	as approved in the Cabinet Meeting			
	(₹12.69 करोड़) तथा (iii) राष्ट्रीय होम्योपैथी	held on 3rd June, 2020, by merging			
	संस्थान, कोलकाता (₹53 करोड़), अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (₹72 करोड़), राष्ट्रीय	existing organisation of PCIM, HPL &			
	मारताय आयुवंद संस्थान (र72 कराड़), राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर (₹4 करोड़), राष्ट्रीय	PLIM (₹12.69 crore) and (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the			
	प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे (₹24 करोड़)	scheme National Institute of			
	और राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बैंगलुरु	Homoeopathy, Kolkata (₹53 crore), All			
	(₹37 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत	India Institute of Ayurveda (₹72 crore),			
	आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के	National Institute of Ayurveda, Jaipur			
	लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(₹4 crore), National Institute of			
		Naturopathy, Pune (₹24 crore) and			
		National Institute of Unani Medicine,	100.00		100.00
	(	Bangalore (₹37 crore).	190.00		190.00
	(ख) उत्तर पूर्व आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलाँग योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets			
	के सृजन हेतु अनुदानों के लिए व्यय को	under the scheme North Eastern			
	पूरा करने हेतु।	Institute of Ayurveda and Homeopathy,			
	g eg.	Shillong.	10.00		10.00
रसा	यन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
5	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	5 Department of Chemicals and Petrochemicals			
	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि. (एचएफएल) की देयताओं	For recoupment of advance from the			
	को चुकाने हेतु तथा कर्मचारियों के वीआरएस/	Contingency Fund of India for off-setting			
	वीएसएस पर किए गए तात्कालिक व्यय को	the Immediate expenditure on liabilities as			
	प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत की आकस्मिकता	well as VRS/VSS for the employees of		<b>50.50</b>	<b>50.5</b> 6
	निधि में से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति।	Hindustan Flurocarbons Ltd. (HFL).	•••	73.70	73.70
नाग	र विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8	नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
	व्यावसायिक सेवाओं पर किए गए व्यय को पूरा	For meeting expenditure towards Professional			
	करने के लिए	Services.	19.34	•••	19.34
उपः	गोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,			
	वितरण मंत्रालय	FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
		11 5			
14.	उपभोक्ता मामले विभाग	14 Department of Consumer Affairs			
14.	उपभोक्ता मामले विभाग मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	14 Department of Consumer Affairs For meeting expenditure towards Grants-in			

						es in Crore)
अनुव	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
15	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों की विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना को खाद्य सब्सिडी देने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	15	Department of Food and Public Distribution  For meeting expenditure towards food subsidy to Decentralized Procurement Scheme States under National Food Security Act.	10,000.00		10,000.00
			under Fundami Food Security Field	10,000.00	•••	10,000.00
रक्षा	मंत्रालय	MI	NISTRY OF DEFENCE			
18	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	18	Ministry of Defence (Civil)			
	(क) उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में सामरिक और सीमा सड़कों		(a) For providing grants for creation of			
	के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के		capital asstes for strategic and border			
	लिए अनुदान प्रदान करने के लिए।		roads in North-Eastern areas;	3.00		3.00
	(ख) सीमा और सामरिक क्षेत्रों में सड़कों के		(b) For Maintenance of roads in border and			
	अनुरक्षण के लिए।		strategic areas.	370.00		370.00
	(ग) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए राज्य		(c) For providing grants to State Governments			
	सरकारों को अनुदान प्रदान करने के लिए।		for creation of capital assets.	27.00		27.00
	(घ) उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में सामरिक और सीमा सड़कों		(d) For construction of strategic and border			
	के निर्माण के लिए।		roads in North Eastern areas.		80.00	80.00
	(इ) सामरिक और सीमा सड़कों के निर्माण के		(e) For construction of strategic and border			
	लिए। > %	••	roads.	•••	720.00	720.00
20	रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	20	Capital Outlay on Defence Services			
	वायु सेना हेतु पूंजीगत अधिग्रहण (₹1,086 करोड़) और केंद्रीय विस्टा परियोजना के संबंध में		For meeting additional expenditure towards			
	कार्यालयों के निर्माण (₹150 करोड़) के लिए		capital acquisition for Air Force (₹1,086 crore) and construction of offices in connection with			
	अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।		Central Vista project (₹150 crore).		150.00	150.00
	जातारत व्यय का यूरा करने हतु।		Central Vista project (C130 crore).	•••	130.00	130.00
विदे	श मंत्रालय	MI	NISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
26	विदेश मंत्रालय	26	Ministry of External Affairs			
	एयर इंडिया को वीवीआईपी वायुयान के रखरखाव		For payment towards maintenance of VVIP			
	(₹81 करोड़) तथा पासपोर्ट सेवा परियोजना हेतु		aircraft to Air India (₹81 crore) and for			
	टीसीएस एवं अन्य सेवा प्रदाताओं को उनकी		additional funds for TCS and other service			
	सेवाओं के लिए अतिरिक्त निधियां (₹280 करोड़)		provider for their services for Passport Seva			
	के लिए भुगतान हेतु।		Projects (₹280 crore).	81.00	•••	81.00
वेत्त	मंत्रालय	MI	NISTRY OF FINANCE			
29	वित्तीय सेवाएं विभाग	29	Department of Financial Services			
	(क) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के		(a) For meeting expenditure towards			
	अंतर्गत प्रदान किए गए शिशु ऋणों का		Subsidy to Small Industries			
	उद्यत भुगतान करने पर 2% ब्याज आर्थिक		Development Bank of India (SIDBI) for			
	सहायता के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास		Interest Subvention of 2% on prompt			
	बैंक (सिडबी) को सब्सिडी हेतु व्यय पूरा		payment of Shishu Loans extended			
	करने के लिए।		under Pradhan Mantri Mudra Yojana			
			(PMMY).	1,232.00		1,232.00
	(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पात्र		(b) For meeting an additional expenditure			
	उधारकर्ताओं को गारंटी तत्काल ऋण व्यवस्था		towards Grants-in-aid General to			
	(जीईसीएल) सुविधा के लिए राष्ट्रीय ऋण		National Credit Guarantee Trustee			
	गारंटी न्यास कंपनी लिमिटेड (एनसी		Company Limited (NCGTC) for the			
	(एनसीजीटीसी) को सामान्य सहायता अनुदान		Guarantee Emergency Credit Line			
	हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		(GECL) facility to eligible MSME	4.000 ===		4.000 -
	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग	~ 4	borrowers.	4,000.00	•••	4,000.00
			Indian Audit and Accounts Department			
34		34	_			
34	एक आईएएडी, एक प्रणाली हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	34	For meeting additional expenditure for One IAAD, One System Project.	50.00		50.00

				(करोड़ रुपए Rupees in Cror राजस्व पूंजी जोड़			
अनुव	व्चन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	Revenue	पूजा Capital	जाड़ Total	
38	राज्यों को अंतरण पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान (₹44,340 करोड़) तथा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि को सहायता अनुदान (₹2,262.43 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए।	38	Transfers to States For providing additional allocation under Post Devolution Revenue Deficit Grant (₹44,340 crore) and Grants-in-aid General for States Disaster Response Fund (₹2,262.43 crore) as per accepted recommendations for Fifteenth Finance Commission.	46,602.43	4	16,602.43	
खाह	प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MI	NISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES				
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  (क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारिकीकरण (पीएम-एफएमई) स्कीम के अंतर्गत कार्यालयी व्यय (₹5 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹5 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹3 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹127 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	41	Ministry of Food Processing Industries  (a) For meeting expenditure towards Office  Expenses (₹5 crore), Other  Administrative Expenses (₹5 crore),  Professional Services (₹3 crore) and  Grants-in-aid General (₹127 crore)  under the scheme PM Formalization of  Micro Food Processing Enterprises  (PM-FME).	140.00		140.00	
	(ख) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारिकीकरण (पीएम-एफएमई) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।		(b) For Grants-in-aid General under the scheme of PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PM-FME).	10.00		10.00	
स्वा	ख्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE				
42	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	42	Department of Health and Family Welfare				
	(क) (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹773.48 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹700.01 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹100.01 करोड़) और (ii) आपातकालीन महामारी तैयारी एवं प्रतिक्रिया ईएपी के तहत आपूर्तियों एवं सामग्रियों के अधिप्रापण (₹3,626 करोड़), केन्द्र शासित प्रदेशों की आपातकालीन महामारी तैयारी एवं प्रतिक्रिया (ईएपी) के लिए (₹85.94 करोड़), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र हेतु (₹52 करोड़) (ईएपी), डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल हेतु (₹98 करोड़), सफदरजंग अस्पताल हेतु (₹183 करोड़), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती एसके अस्पताल हेतु (₹32.80 करोड़) तथा राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु (₹2.20 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।		(a) (i) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹773.48 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹700.01 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹100.01 crore) and (ii) (₹3,626 crore) for procurement of supplies and materials, (₹85.94 crore) for UTs (EAP) Emergency Epidemic prepared ness and response (EAP), (₹52 crore) for National Centre for Disease Control (EAP), (₹98 crore) for Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, (₹183 crore) for Safdarjung Hospital, (₹32.80 crore) for Lady Harding Medical College and Smt. S.K. Hospital and (₹2.20 crore) for National Vector Borre Disease Control	3 763 94		3 763 9/	
	(ख) कोविड-19 वैश्विक महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया (ईएपी) के लिए सामान्य सहायता अनुदान की ओर अतिरिक्त खर्च को पूरा		Programme.  (b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for containment of COVID-19 pandemic	3,763.94		3,763.94	
	करने के लिए। (ग) कोविड-19 वैश्विक महामारी (ईएपी) की रोकथाम के लिए सामान्य सहायता अनुदान की ओर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के		<ul><li>(EAP).</li><li>(c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for containment of COVID-19 pandemic</li></ul>	5,915.49		5,915.49	
	लिए।		(EAP).	936.53		936.53	

				गेड़ रुपए Rupee	
अनु	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	(घ) कोविड-19 वैश्विक महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए मशीनरी और उपकरण की खरीद (₹1098 करोड़ (ईएपी) (i) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (ईएपी) (₹43 करोड़) (ii) डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (₹80 करोड़) के लिए मशीनरी और उपकरण (iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एण्ड एस.के. हॉस्पिटल, नई दिल्ली (₹30 करोड़) 3. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिए मशीनरी और उपकरण, मोटर गाड़ियां तथा प्रमुख कार्यों (₹478 करोड़) के खर्च को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards 1. Procurement of Machinery & Equipment for containment of COVID 19 pandemic (₹1098 crore) (EAP) 2. Machinery & Equipment for (i) National Centre for Disease Control (EAP) (₹43 crore) (ii) Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (₹80 crore) (iii) Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi (₹30 crore) and 3. Machinery & Equipment, Motor Vehicles and Major Works for Safdarjung Hospital (₹478 crore).		1,141.00	1,141.00
43	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	43 Department of Health Research		•	,
	ईएपी के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के लिए आपातकालीन महामारी तत्परता और प्रतिक्रिया के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान एवं अनुदानों के प्रति अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General and Grants for Creation of Capital Assets for Emergency Epidemic Preparedness and Response for Indian Council of Medical Research (ICMR) under EAP.	2,475.00		2,475.00
श्रम	एवं रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
63	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए खर्च पूरा करने हेतु।	63 Ministry of Labour and Employment  (a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY).	4,374.00		4,374.00
	(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु खर्च पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) for North Eastern Region.	486.00		486.00
पेट्रो	लेयम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND			
75	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कच्चे तेल के भंडार के लिए भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड को अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए।	NATURAL GAS  75 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing additional fund to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited for crude oil reserves		3,184.00	3,184.00
	मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
83	रेल मंत्रालय (क) कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य तंत्र तैयारी पैकेज इत्यादि के हिस्से के रूप में चिकित्सा उपकरणों, दवाइयों, पीपीई, आइसोलेशन वॉर्ड के सृजन, कोचों को आइसोलेशन वॉर्ड में बदलने, पराचिकित्सक की लागत, रेल परिसरों और ट्रेनों में अतिरिक्त सफाई, गतिविधियों की खरीदी हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (₹620 करोड़)। (ख) 'कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य तंत्र तैयारी पैकेज' इत्यादि के हिस्से के रूप आइसोलेशन वॉर्ड के सृजन,	<ul> <li>(a) For meeting expenditure for purchase of medical equipments, medicines, PPEs, creation of Isolation wards, conversion of coaches into isolation wards, cost of paramedics, additional cleanliness/activities in Railway Premises and trains as part of COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package, etc. (₹620 crore).</li> <li>(b) For meeting expenditure towards creation of isolation wards, purchase of medical equipments as part of 'COVID-</li> </ul>	520.00		520.00

		(करो	ड़ रुपए Rupees in Crore
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी जोड़ Capital Total
चिकित्सा उपकरणों की खरीदी के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	19 Emergency Response and Health System Preparedeness Package', etc.		100.00 100.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय  85 ग्रामीण विकास विभाग  (क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना महिला खाता धारकों (₹30,956.98 करोड़) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (₹2,814.50	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT  85 Department of Rural Development  (a) For providing Grants-in-aid General for Direct Benefit Transfer to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna Women Accounts Holders (₹30,956.98 crore)		
करोड़) के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।  (ख) (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (₹32000 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए और (ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि (₹40,000 करोड़) में निधियों के अंतरण के लिए।	and Indira Gandhi National Old Age Pension (₹2,814.50 crore) under the scheme National Social Assistance Programme.  (b) For (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (₹32,000 crore) and (ii) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹40,000 crore).	33,771.48 40,000.00	33,771.48 40,000.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND		
(i) "स्वायत्त संस्थानों को सहायता" के तहत कोविड-19 के परीक्षण हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए प्रचालन व्यय (₹70 करोड़) (ii) स्वदेशी टीके के विकास और अन्य कोविड-19 समाधानों और जांच संबंधी गतिविधियों को सहायता देने हेतु जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास स्कीम के लिए (₹250 करोड़) और (iii) औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास स्कीम हेतु तािक भारत के जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी स्टार्ट अप में उन्हें स्तरीय और सही अर्थों में भारत में निर्मित, वैश्विक रूप से बढ़ती कंपनियों के रूप में बनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जा सके (₹100 करोड़)।	TECHNOLOGY  88 Department of Biotechnology For meeting expenditure (i) and operational expenditure towards Grants-in-aid General for testing of COVID-19 (₹70 crore) under "Assistance to Autonomous Institutions" (ii) towards scheme of Biotechnology Research and Development to support indigenous vaccine development and other COVID 19 solutions and testing related activities (₹250 crore) and (iii) towards scheme of Industrial & Entrepreneurship Development to ensure India's biotech and healthcare start-ups for providing a fillip to scale and become truly Made in India, Going Global Companies (₹100 crore).	350.00	350.00

## कुल नकद निर्गम

3. पूरक मांग अनुदानों के इस बैच में ₹68,868.33 करोड़ रुपए के लिए तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग हेतु प्रस्ताव शामिल है जो अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या मंत्रालयों/विभागों की इसी बचत से मेल खाते हैं। मदें इस प्रकार हैं:-

**Total Cash Outgo** 5,461.70 1,66,983.91

1,61,522.21

3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹68,868.33 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

## अनुदानों की तकनीकी पूरक मांगें

#### **Technical Supplementary Demands for grants**

		(करो	ड़ रुपए Rupees	in Crore)
		राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  24 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY  24 Ministry of Electronics and Information Technology			
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के डाटा केन्द्रों तथा क्लाउड	For meeting expenditure towards Machinery			

			(क	रोड़ रुपए Rupee	es in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सर्विसेज के संबंध में मशीनरी तथा उपकरणों के लिए खर्च को पूरा करने हेतु।		and Equipment in respect of Data Centres and Cloud Services under National Informatics Centre.		92.99	92.99
विदेश मंत्रालय	MI	NISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
26 विदेश मंत्रालय	26	Ministry of External Affairs			
<ul> <li>(क) जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी 2022 के लिए प्रारंभिक तैयारी गतिविधियों को शुरू करने के लिए कार्यालय व्यय (₹10 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹3 करोड़) और व्यावसायिक सेवाओं (₹2 करोड़) की अतिरिक्त निधि को पूरा करने के लिए।</li> <li>(ख) जी 20 इंडिया प्रेसीडेंसी 2022 के लिए प्रवासी भारतीय केन्द्र के नवीकरण और अनुरक्षण के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधि</li> </ul>		<ul> <li>(a) For meeting additional funds towards         Office Expenses (₹10 crore), Other         Administrative Expenses (₹3 crore) and         Professional Services (₹2 crore) for         initiating preparatory activities for         G20 India Presidency 2022.</li> <li>(b) For meeting additional funds required         for renovation and maintenance of         Provesi Phareting Kendes for C20 India</li> </ul>	15.00		15.00
को पूरा करने के लिए ।		Pravasi Bharatiya Kendra for G20 India Presidency 2022.		45.00	45.00
वित्त मंत्रालय	MI	NISTRY OF FINANCE			
27 आर्थिक कार्य विभाग	27	Department of Economic Affairs			
(क) अफ्रीकी विकास निधि (एडीएफ-15) के लिए		(a) For Contribution towards African			
अंशदान हेतु।		Development Fund (ADF-15).	69.89	•••	69.89
(ख) प्रतिभूतियों के माध्यम से मूल्य अनुरक्षण		(b) For meeting expenditure towards			
(एमओवी)-आईएमएफ बाध्यताओं को पूरा		Maintenance of Value (MoV)-IMF			
करने हेतु।		Obligation through issue of securities.	•••	6,122.33	6,122.33
29. वित्तीय सेवाएं विभाग	29	Department of Financial Services			
(क) सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से सरकारी		(a) For meeting expenditure towards			
क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूंजीकरण हेतु व्यय को		recapitalisation of Public Sector Banks		20,000,00	•••••
पूरा करने के लिए।		through issue of Government Securities.		20,000.00	20,000.00
(ख) (i) आंशिक ऋण गारंटी स्कीम (₹500 करोड़) और (ii) विशेष नकदी स्कीम न्यास (₹500		(b) For providing Loan for settlement of			
करोड़) के अंतर्गत सरकार द्वारा दी गई		claims on invoking guarantee given by Government under (i) Partial Credit			
इन्वोकिंग गारंटी के दावों का निपटान करने		Guarantee Scheme (₹500 crore) and (ii)			
हेतु ऋण प्रदान करने के लिए।		Special Liquidity Scheme			
eg ne-i nai i av i av ici (i		Trust (₹500 crore).		1,000.00	1,000.00
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
44 भारी उद्योग विभाग	44	Department of Heavy Industry			
सहायता अनुदान के रूप में टीएसपीएल को जारी	-	For conversion of loan released to TSPL for			
ऋण के रूपांतरण के लिए आयकर विभाग के		payment of outstanding tax liabilities of			
बकाया कर के भुगतान हेतु (₹39.33 करोड़)		Income Tax Department (₹39.33 crore) and			
और अन्य (₹3.12 करोड़)।		Others (₹3.12 crore) into Grants-in-aid.	42.45		42.45
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MI	NISTRY OF HUMAN RESOURCE			
59 उच्चतर शिक्षा विभाग	<i>E</i> 0	DEVELOPMENT  Department of Higher Education			
(क) (i) विभिन्न योजनाओं के तहत सामान्य	39	Department of Higher Education  (a) For mosting expenditure towards (i)			
(क) (1) विभन्न योजनीओं के तहत सामान्य		(a) For meeting expenditure towards (i)			

Grants-in-aid General (₹611.14 crore)

under various schemes (ii) Grant-in-aid

aid Salaries under the scheme Central

सहायता अनुदान (₹611.14 करोड़) और

(ii) केंद्रीय विश्वविद्यालय योजना के तहत

वेतन सहायता अनुदान (₹600 करोड़) तथा

		(करो	ड़ रुपए Rupee:	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(iii) दूरस्थ शिक्षा में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय-नेटवर्क की स्थापना-शिक्षा के राष्ट्रमंडल में भारत का अंशदान स्कीम के अंतर्गत अंशदान (₹4 करोड़) (iv) वैश्विक भागीदारी हेतु नवोन्मेष योजना के तहत अन्य प्रशानिक व्यय (₹1.69 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	Universities (₹600 crore) and (iii) Contribution under the scheme setting up of Commonwealth University & College-network in Distance Education- India's Contribution to the Commonwealth of Learning (₹4 crore) (iv) Other Administrative Expenses under the scheme Initiatives for global engagement (₹1.69 crore).	700.00		700.00
(ख) (i) विभिन्न योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹96.40 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹143.95 करोड़) (ii) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के तहत 'व्यवसायिक सेवाओं' (ईएपी) (₹20 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹96.40 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹143.95 crore) under various schemes and (ii) Professional Services' under the scheme Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) (₹20 Crore)	112.50		112.50
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
67 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	67 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
निधियों की निधि स्कीम के तहत निवेश हेतु व्यय को पूरा करने के लिए	For meeting expenditure towards Investment under the scheme Fund of funds.		500.00	500.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
84 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	84 Ministry of Road Transport and Highways			
निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. मुख्य निर्माण कार्य हेतु (i) सड़क विंग के अंतर्गत हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना की विश्वबैंक विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (₹300 करोड़), (ii) हरित निर्माण राजमार्ग गलियारा परियोजना के प्रतिपक्ष वित्तपोषण (₹200 करोड़) और (iii) लद्दाख (₹91.57 करोड़) तथा 2. निधियों की अंतर लेखा अंतरण (₹78.46 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards  1. Major Works for (i) World Bank Externally Aided Project of Green National Highways Corridor Project under Road Wing (₹300 crore) (ii) Counterpart Funding of Green National Highways Corridor Project (₹200 crore) and (iii) Ladakh (₹91.57 crore) and 2. Inter account Transfer of Funds (₹78.46 crore).		156.92	156.92
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
85 ग्रामीण विकास विभाग (क) निम्नलिखितों के लिए (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹32,000 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को निधि	85 Department of Rural Development  (a) For (i) providing Grants for Creation of Capital Assets under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program (₹32,000 crore) and (ii) transfer of funds to National Employment Guarantee			
अंतरण (₹40,000 करोड़)। (ख) (i) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के लिए निधियां (₹8,000 करोड़) और (ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार	Fund (₹40,000 crore).  (b) For providing (i) funds for Grants for Creation of Capital Assets (₹8,000 crore) and (ii) allocation for Capacity	32,000.00	:	32,000.00

		राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
गारंटी योजना के तहत उन्नति परियोजना	Building and Technical Support for			
के लिए क्षमता निर्माण एवं तकनीकी	project UNNATI (₹183.71 crore) under			
सहायता हेतु आवंटन (₹183.71 करोड़)।	the scheme Mahatma Gandhi National			
	Rural Employment Guarantee Scheme'.	. 8,000.00		8,000.00
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
98 पर्यटन मंत्रालय	98 Ministry of Tourism			
महिला निर्भया कोष हेतु सुरक्षित पर्यटक गंतव्य	For providing Grants-in-aid General under			
योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान	the scheme Safe Tourist Destination for			
प्रदान करने के लिए।	Women Nirbhaya Funds.	6.25		6.25
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD			
100 महिला और बाल विकास मंत्रालय	DEVELOPMENT 100 Ministry of Women and Child			
100 महिला आर बाल विकास गंत्रालव	Development Development			
राष्ट्रीय पोषाहार मिशन - कार्यक्रम घटक (एकीकृत	For meeting additional expenditure towards			
पोषाहार शिक्षा) के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों	Major Works under National Nutrition			
के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Mission-Programme Component (Integrated			
τ.	Education in Nutrition).		5.00	5.00
कुल तकनीकी	Total Technical	40,946.09	27,922.24	68,868.33
	items listed below the expenditure indicate	ed against v	which will	be met by
लाख की पूरक अनुदान भी प्रस्तावित है, जिसे राजस्व या पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो।	items listed below, the expenditure indicate reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.	-		-
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया	reappropriation of savings within the Revenue or	Capital Sec		ase may be
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो।	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.	Capital Sec	tion, as the ca	ase may be
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  Grant No. & title and description of items  MINISTRY OF AGRICULTURE AND	Capital Sect (क राजस्व	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	ase may be es in Crore जोड़
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  Grant No. & title and description of items	Capital Sect (क राजस्व	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	ase may be es in Crore जोड़
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग  निम्नलिखित सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  Grant No. & title and description of items  MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE  1 Department of Agriculture, Cooperation	Capital Sect (क राजस्व	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	ase may be es in Crore जोड़
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग निम्नलिखित सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  Grant No. & title and description of items  MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE  1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare	Capital Sect (क राजस्व	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	ase may be es in Crore जोड़
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग निम्नलिखित सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-अन्य फसलों के तहत सामान्य घटक	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  Grant No. & title and description of items  MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE  1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare For meeting expenditure towards Grants-in-	Capital Sect (क राजस्व	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	ase may be es in Crore जोड़
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग निम्नलिखित सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुखा मिशन-अन्य फसलों के तहत सामान्य घटक (₹8.88 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  Grant No. & title and description of items  MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE  1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) General Component	Capital Sect (क राजस्व	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	ase may be es in Crore जोड़
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग निम्नलिखित सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुख्सा मिशन-अन्य फसलों के तहत सामान्य घटक (₹8.88 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  Grant No. & title and description of items  MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE  1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare  For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) General Component (₹8.88 crore), Special Component Plan for	Capital Sect (क राजस्व	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	ase may be es in Crore जोड़
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग निम्नलिखित सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुख्सा मिशन-अन्य फसलों के तहत सामान्य घटक (र्8.88 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (र्80.83 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  Grant No. & title and description of items  MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE  1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare  For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) General Component (₹8.88 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (SCSP) Component (₹0.83 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TSP) Component (₹1.19 crore) under	Capital Sect (क राजस्व	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	ase may be es in Crore जोड़
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग निम्नलिखित सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुखा मिशन-अन्य फसलों के तहत सामान्य घटक (₹8.88 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.83 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी) घटक (₹1.19 करोड़) (ii) खाद्य	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  Grant No. & title and description of items  MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE  1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare  For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) General Component (₹8.88 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (SCSP) Component (₹0.83 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TSP) Component (₹1.19 crore) under National Food Security Mission-Other	Capital Sect (क राजस्व	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	ase may be es in Crore जोड़
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग निम्निलिखित सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुख्सा मिशन-अन्य फसलों के तहत सामान्य घटक (₹8.88 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.83 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी) घटक (₹1.19 करोड़) (ii) खाद्य सुख्सा मिशन-तिलहन और पाम तेल के तहत	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  Grant No. & title and description of items  MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE  1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare  For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) General Component (₹8.88 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (SCSP) Component (₹0.83 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TSP) Component (₹1.19 crore) under National Food Security Mission-Other Crops and (ii) General Component (₹0.69	Capital Sect (क राजस्व	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	ase may be es in Crore जोड़
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग निम्नलिखित सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुखा मिशन-अन्य फसलों के तहत सामान्य घटक (₹8.88 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.83 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी) घटक (₹1.19 करोड़) (ii) खाद्य सुख्या मिशन-तिलहन और पाम तेल के तहत सामान्य घटक (₹0.69 करोड़), अनुसूचित जातियों	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  Grant No. & title and description of items  MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE  1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare  For meeting expenditure towards Grants-inaid General for (i) General Component (₹8.88 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (SCSP) Component (₹0.83 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TSP) Component (₹1.19 crore) under National Food Security Mission-Other Crops and (ii) General Component (₹0.69 crore), SCSP Component (₹0.02 crore) and	Capital Sect (क राजस्व	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	ase may be es in Crore जोड़
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग निम्नलिखित सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुखा। मिशन-अन्य फसलों के तहत सामान्य घटक (₹8.88 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.83 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी) घटक (₹1.19 करोड़) (ii) खाद्य सुख्या मिशन-तिलहन और पाम तेल के तहत सामान्य घटक (₹0.69 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी)	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE  1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare  For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) General Component (₹8.88 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (SCSP) Component (₹0.83 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TSP) Component (₹1.19 crore) under National Food Security Mission-Other Crops and (ii) General Component (₹0.69 crore), SCSP Component (₹0.02 crore) and TSP Component (₹0.01 crore) under	Capital Sect (क राजस्व	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	ase may be es in Crore जोड़
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग निम्नलिखित सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुखा। मिशन-अन्य फसलों के तहत सामान्य घटक (₹8.88 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.83 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी) घटक (₹1.19 करोड़) (ii) खाद्य सुख्या मिशन-तिलहन और पाम तेल के तहत सामान्य घटक (₹0.69 करोड़),अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.69 करोड़),अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.69 करोड़),अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.02 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE  1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare  For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) General Component (₹8.88 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (SCSP) Component (₹0.83 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TSP) Component (₹1.19 crore) under National Food Security Mission-Other Crops and (ii) General Component (₹0.69 crore), SCSP Component (₹0.01 crore) under National Food Security Mission-Oil Seeds	(ক যাজ্যব Revenue	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	es in Crore जोड़ Total
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग निम्नलिखित सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-अन्य फसलों के तहत सामान्य घटक (₹8.88 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.83 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी) घटक (₹1.19 करोड़) (ii) खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन और पाम तेल के तहत सामान्य घटक (₹0.69 करोड़),अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.02 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी) घटक (₹0.01 करोड़)।	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE  1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare  For meeting expenditure towards Grants-inaid General for (i) General Component (₹8.88 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (SCSP) Component (₹0.83 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TSP) Component (₹1.19 crore) under National Food Security Mission-Other Crops and (ii) General Component (₹0.69 crore), SCSP Component (₹0.02 crore) and TSP Component (₹0.01 crore) under National Food Security Mission-Oil Seeds and Oil Palm.	Capital Sect (क राजस्व	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	ase may be es in Crore जोड़
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग निम्नलिखित सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुखा मिशन-अन्य फसलों के तहत सामान्य घटक (₹8.88 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.83 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी) घटक (₹1.19 करोड़) (ii) खाद्य सुख्सा मिशन-तिलहन और पाम तेल के तहत सामान्य घटक (₹0.69 करोड़),अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.69 करोड़),अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.02 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE  1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare  For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for (i) General Component (₹8.88 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (SCSP) Component (₹0.83 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TSP) Component (₹1.19 crore) under National Food Security Mission-Other Crops and (ii) General Component (₹0.69 crore), SCSP Component (₹0.01 crore) under National Food Security Mission-Oil Seeds	(ক যাজ্যব Revenue	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	es in Crore जोड़ Total
पूंजी भाग के बचत की पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा, संबंधित अनुदान का जैसा भी मामला हो। सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग निम्नलिखित सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-अन्य फसलों के तहत सामान्य घटक (₹8.88 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.83 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी) घटक (₹1.19 करोड़) (ii) खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन और पाम तेल के तहत सामान्य घटक (₹0.69 करोड़),अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) घटक (₹0.02 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी) घटक (₹0.01 करोड़)।	reappropriation of savings within the Revenue or of the relevant grant.  Token Supplementary Demands for grants  MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE  1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare  For meeting expenditure towards Grants-inaid General for (i) General Component (₹8.88 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (SCSP) Component (₹0.83 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TSP) Component (₹1.19 crore) under National Food Security Mission-Other Crops and (ii) General Component (₹0.69 crore), SCSP Component (₹0.02 crore) and TSP Component (₹0.01 crore) under National Food Security Mission-Oil Seeds and Oil Palm.  2 Department of Agricultural Research and	(ক যাজ্যব Revenue	tion, as the ca रोड़ रुपए Rupe पूंजी	es in Crore जोड़ Total

aid General to Indian Council of Agricultural

अनुसंधान मुख्यालय प्रशासन परिषद को सामान्य

			(करो	ड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनु	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	Research Headquarter Administration under Swachhta Action Plan.	0.50		0.50
रस	ायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
5	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	5 Department of Chemicals and Petrochemicals			
	(क) परियोजना विकास प्रकोष्टों (पीडीसी) और निवेश संवर्धन प्रकोष्टों के लिए व्यावसायिक सेवाओं (₹0.79 करोड़), कार्यालय व्यय (₹0.16 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (ओई)(₹0.12 करोड़) के व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting expenditure towards Professional Services (₹0.79 crore), Office Expenses (₹0.16 crore) and Information Technology (OE) (₹0.12 crore) for Project Development Cells (PDC) and an Investment Promotion Cell.	1.07		1.07
	(ख) केंद्रीय पैट्रोरसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) को	(b) For meeting expenditure towards providing Grants-in-aid General to			
7	सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए व्यय की पूर्ति हेतु। भेषज विभाग	Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology (CIPET).  7 Department of Pharmaceuticals	144.00		144.00
	(i) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), मोहाली के नियमित कर्मचारियों एवं पेंशनरों को बकाया का भुगतान (₹9.55 करोड़) (ii) चिकित्सीय उपकरणों हेतु घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए (₹2 करोड़) तथा उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के के अंतर्गत संकटपूर्ण केएसएम/मध्यमवर्ती दवाइयों और एपीआई के घरेलू विनिर्माण का संवर्धन (₹1.55 करोड़)।	For (i) the payment of arrears to regular employees and pensioners of National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Mohali (₹9.55 crore) (ii) promoting Domestic Manufacturing for Medical Device (₹2 crore) and promotion of domestic manufacturing of critical KSMs/Drug Intermediates and APIs (₹1.55 crore) under the scheme Production Linked Incentive (PLI).	13.10		13.10
नाग	ार विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8	नागर विमानन मंत्रालय कौशल विकास के लिए नागर विमानन क्षेत्र के संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	8 Ministry of Civil Aviation For Grants-in-aid General to Institutions in Civil Aviation Sector for Skill Development.	1.00		1.00
को 9	पता मंत्रालय कोयला मंत्रालय (i) कोयले और लिग्नाइट की अन्वेषण योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने (₹230 करोड़) तथा (ii) कोयला क्षेत्र की परिवहन अवसंरचना की विकास योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत सब्सिडी हेतु (₹20 करोड़)।	MINISTRY OF COAL  9 Ministry of Coal  For (i) providing Grants-in-aid General under the scheme Exploration of Coal and Lignite (₹230 crore) and (ii) subsidies unde Tribal Area Sub Plan under the scheme Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas (₹20 crore).	250.00		250.00
का <sup>.</sup> 16	रपोरेट कार्य मंत्रालय  कारपोरेट कार्य मंत्रालय  किदवई नगर पूर्व में कार्यालय स्थान के अधिग्रहण हेतु स्टाम्प शुल्क के भुगतान हेतु भारतीय प्रतियोगिता आयोग के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त अनुदानों को प्रदान	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  16 Ministry of Corporate Affairs  For providing additional Grants for Creation of Capital Assets for Competition Commission of India for payment of Stamp Duty towards acquisition of office	12.12		10.10
	करने के लिए।	accommodation at East Kidwai Nagar.	12.18		12.18

				ोड़ रुपए Ruped	
अनुव	व्चन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पृर्ख	ो विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
-	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	23 Ministry of Earth Sciences			
	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के भुगतान	For providing Grants-in-aid General to			
	हेत् भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान	Indian Institute of Tropical Meteorology			
	(आईआईटीएम) संस्थान को सामान्य सहायता	(IITM) for payment of pension and other			
	अनुदान प्रदान करने हेतु।	retirement benefits.	10.50	•••	10.50
पर्या	वरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
25	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	25 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
	(क) हरित भारत मिशन - राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	(a) For meeting expenditure towards			
	के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय	Grants-in-aid General towards Green			
	को पूरा करने के लिए।	India Mission-National Afforestation			
		Programme.	3.10		3.10
	(ख) निम्न हेतु व्यय को पूरा करने के लिए 1.	(b) For meeting expenditure towards 1.	0.10		0.10
	सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय तटीय	Grants-in-aid General (i) for National			
	मिशन (₹200 करोड़) (ईएपी) और (ii) टीएसपी	Coastal Mission (₹200 crore) (EAP) and			
	के तहत (₹6 करोड़) और हिमालय संबंधी	(ii) under TSP (₹6 crore) and SCSP (₹6			
	अध्ययनों पर राष्ट्रीय मिशन हेतु एससीएसपी	crore) for National Mission on Himalayan			
	्र (₹6 करोड़) और 2. निम्नलिखित के लिए	Studies and 2. Grants for Creation of			
	पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान	Capital Assets for (i) Pollution Abatement			
	(i) प्रदूषण उपशमन (₹24.12 करोड़) और	(₹24.12 crore) and (ii) GP Pant			
	(ii) जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास	Himalayan Institute of Environment and			
	संस्थान (₹21 करोड़)।	Development (₹21 crore).	257.12		257.12
विदे	श मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
26	विदेश मंत्रालय	26 Ministry of External Affairs			
	सांस्कृतिक और धरोहर संबंधी परियोजनाओं हेतु	For meeting funds towards Contribution for			
	सहायता स्कीम के तहत सांस्कृतिक, संरक्षण और	development of cultural, conservation and			
	धरोहर संबंधी परियोजनाओं के विकास हेतु योगदान	heritage projects under the scheme Aid for			
	के लिए निधियों को पूरा करने हेतु।	cultural and heritage Projects.	10.00		10.00
वित्त	मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
27	आर्थिक कार्य विभाग	27 Department of Economic Affairs			
	(क) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अधिकरण के	(a) For payment towards International			
	लिए भुगतान हेतु।	Financial Services Centres Authority.	10.00		10.00
	(ख) किफायती और मध्यम आय वर्गीय आवासन	(b) For investment in Special window for			
	हेतु विशेष विंडो में निवेश हेतु।	affordable and middle-income housing.	•••	1,366.14	1,366.14
	(ग) अफ्रीकी विकास बैंक (एडीबी) को ब्रिज ऋण	(c) For Bridge Loan to African Development			
	हेतु।	Bank (ADB).	•••	58.45	58.45
32	प्रत्यक्ष कर	32 Direct Taxes			
	(क) (i) नॉरोजी नगर वाणिज्यिक परिसर, नई	(a) For (i) purchase of office			
	दिल्ली में एनबीसीसी के माध्यम से कार्यालय	accommodation and construction			
	आवास और निर्माण कार्य संबंधी क्रय हेतु	through NBCC at Nauroji Nagar			
	(₹3 करोड़) (ii) गुरुग्राम में भूमि की खरीद	Commercial Complex, New Delhi (₹3			
	और कार्यालय भवन के निर्माण हेतु (₹4	crore) (ii) purchase of land and			
	करोड़) (iii) प्रत्यक्ष कर भवन, नई दिल्ली में	construction of office building at			
	किए गए फनीर्शिंग से जुड़े कार्य को पूरा	Gurugram (₹4 crore) (iii) payment			
	करने हेतु भुगतान (₹5.64 करोड़) (iv)	towards finishing and furnishing work			

		(करो	ड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सिंधिया हाउस, बलार्ड इस्टेट, मुम्बई में सिविल, इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्यों के लिए (₹9.42 करोड़) (v) ऐर्नाकुलम, कोच्ची, केरल में आयकर भवन कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु (₹10 करोड़) और (vi) गुंटूर आंध्रप्रदेश में कार्यालय और स्टाफ क्वार्टर के निर्माण हेतु सरकारी अधिग्रहण (₹20.90 करोड़)।	carried out at Pratyaksh Kar Bhawan, New Delhi (₹5.64 crore) (iv) Civil, Electrical and Mechanical works at Scindia House, Ballard Estate, Mumbai (₹9.42 crore), (v) construction of Office complex Ayakar Bhawan at Ernakulam, Kochi, Kerala (₹10 crore) and (vi) Acquisition of Government for construction of office and staff quarter at Guntur, Andhra Pradesh (₹20.90 crore).  (b) For construction of residential complex of Income Tax Department at Dibrugarh.		52.96 5.00	52.96 5.00
मत्स्यपालन,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL			
39 मत्स्यपालन विभाग	HUSBANDRY AND DAIRYING			
क मत्स्यपालन विभाग (क) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के लिए व्यावसायिक सेवाओं (₹0.20 करोड़), सामान्य घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹4.60 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹0.80 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹0.40 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	39 Department of Fisheries  (a) For meeting expenditure towards Professional Services (₹0.20 crore), Grants-in-aid General under General Component (₹4.60 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (0.80 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹0.40 crore) for Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana	6.00		6.00
(ख) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के लिए सामान्य घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹41 करोड़), अनुसूचित जाति उप- योजना (₹9 करोड़), जन जातीय क्षेत्र उप योजना (₹6 करोड़) व्यय को पूरा करने के लिए।	<ul> <li>(PMMSY).</li> <li>(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under General Component (₹41 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (₹9 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹6 crore) for Pradhan Mantri</li> </ul>	6.00		6.00
(ग) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के लिए सामान्य घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹351 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹68 करोड़), जन जातीय क्षेत्र उप योजना (₹32 करोड़) व्यय को पूरा	Matsya Sampada Yojana (PMMSY).  (c) For meeting expenditure towards Grantsin-aid General under General Component (₹351 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (₹68 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹32 crore) for Pradhan Mantri	56.00		56.00
करने के लिए। (घ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के लिए सामान्य घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹25 करोड़), अनुसूचित जाति उप- योजना (₹15 करोड़), जन जातीय क्षेत्र उप योजना (₹7 करोड़) व्यय को पूरा करने के	Matsya Sampada Yojana (PMMSY).  (d) For meeting expenditure towards Grantsin-aid General under General Component (₹25 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (₹15 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹7 crore) for Pradhan Mantri	451.00		451.00
लिए।  40 पशुपालन और डेयरी विभाग  (क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹34.80 करोड़), एससीएसपी घटक के लिए (₹8 करोड़) और टीएसपी घटक (₹8	Matsya Sampada Yojana (PMMSY).  40 Department of Animal Husbandry and Dairying  (a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for General Component (₹34.80 crore), for SCSP component (₹8 crore) and for TSP	47.00		47.00
करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	Component (₹8 crore) under National Livestock Mission.	50.80		50.80

			(करो	ड़ रुपए Rupee.	s in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	G	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹7 करोड़), एससीएसपी घटक के लिए (₹3.40 करोड़) और टीएसपी घटक (₹1.40 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।		(b) For Grants-in-aid General for General Component (₹7 crore), for SCSP Component (₹3.40 crore) and for TSP component (₹1.40 crore) under National Livestock Mission.	11.80		11.80
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	M	INISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	42	Department of Health and Family Welfare			
<ul> <li>(क) देनदारियों के निपटान हेतु केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के अंतर्गत चिकित्सा उपचार हेतु निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) पैनल में शामिल अस्पतालों में सीजीएचएस पेंशनभोगियों को अस्पताल में भर्ती होने पर और (ii) मेडिकल स्टोर संगठन हेतु।</li> <li>(ख) निम्नलिखित अतिरिक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए (i) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹143.69 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹143.69 करोड़) तथा (ii) क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इंफाल के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹22.92 करोड़)।</li> <li>(ग) सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली के लिए मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।</li> </ul>		<ul> <li>(a) For meeting expenditure towards Medical Treatment under Central Government Pensioners to clear liabilities (i) on hospitalization of CGHS Pensioners in the empanelled hospitals and (ii) of Medical Stores Organization.</li> <li>(b) For meeting additional additional requirement towards (i) Grants-in-aid General (₹143.69 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹12 crore) for North - Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong and (ii) Grants-in-aid General for Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹22.92 crore).</li> <li>(c) For meeting additional expenditure towards Major Works for Safdarjung Hospital, New Delhi.</li> </ul>	745.00 178.61 	41.00	745.00 178.61 41.00
गृह मंत्रालय	M	INISTRY OF HOME AFFAIRS			
48 पुलिस राष्ट्रीय इंटेलिजेंस ग्रिड (एनएटीजीआरआईडी) के लिए लघु निर्माण कार्य हेतु व्यय की पूर्ति के		Police For meeting expenditure towards Minor Works for National Intelligence Grid	2.50		2.50
लिए। 51 दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव		(NATGRID).  Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	2.50		2.50
डीएनएच विद्युत वितरण और निगम लिमिटेड को ऋण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए।  52 लहाख	52	For meeting additional requirement to provide loans to DNH Power Distribution and Corporation Limited.  Ladakh		50.00	50.00
(क) संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के पुलिस विभाग के लिए शस्त्र और गोला बारूद की खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।		(a) For meeting additional requirement for purchase of Arms and Ammunition for the Police Department of UT of Ladakh.	5.00		5.00
(ख) संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए बिजली की खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।		(b) For meeting additional requirement for purchase of power for UT of Ladakh.	80.00		80.00
53 लक्षद्वीप	53	Lakshadweep			
(क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायकों के लिए अतिरिक्त मानदेय के भुगतान, आंगनवाड़ी		(a) For meeting expenditure towards payment of additional honorarium to			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
भवनों का किराया आदि हेतु व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी/पारगमन/आवास/ आवासीय भवनों आदि के निर्माण/पुनःनिर्माण/ विशेष मरम्मत के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	Anganwadi Workers/Helpers, rent of Anganwadi buildings etc.  (b) For meeting expenditure towards constructions/re-construction/special repairs to Police Station/Police Outpost/Transit/Accomodation/Residential Buildings etc.	0.88	0.35	0.88
(ग) फाइबर कारखानों/हस्तशिल्प/होजरी फैक्टरी भवनों आदि के निर्माण/पुनःनिर्माण/विशेष मरम्मत के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards constructions/re-construction/special repairs to Fiber Factory/Handicraft Hosiery Factory buildings etc.		0.50	0.50
(घ) पर्यावरण भवन, केंद्रीय कचरा भंडार और बोट शेड भवनों आदि के निर्माण हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards Construction of Paryavaran Bhawan, Central Garbage Depository and Boat Shed buildings etc.		0.60	0.60
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN			
(क) स्ट्रीट वेंडर्स हेतु विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा के लिए आत्मिनर्भर स्कीम के तहत प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मिनर्भर निधि में, सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़), अंशदान (₹93 करोड़), सब्सिडी (₹55 करोड़) ब्याज (₹90 करोड़), अन्य प्रशासिनक व्यय (₹34.50 करोड़), विज्ञापन एवं प्रचार (₹2 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹0.26 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹10 करोड़) और अन्य प्रभार (₹1 करोड़) हेतु व्यय की पूर्ति के लिए।	AFFAIRS  57 Ministry of Housing and Urban Affairs  (a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹2 crore), Contribution (₹93 crore), Subsidy (₹55 crore), Interest (₹90 crore), Other Administrative Expenses (₹34.50 crore), Advertising & Publicity (₹2 crore), Domestic Travel Expenses (₹0.26 crore), Professional Services (₹10 crore) and Other Charges (₹1 crore) to Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PMSVANidhi) under Atma Nirbhar Scheme for Special Micro Credit Facility for Street Vendors.	287.76		287.76
(ख) उच्चतम न्यायालय, पार्लियामेंट वर्क्स, सीबीईसी/ सीबीडीटी, मिंटो रोड, नई दिल्ली में स्थित स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग बिल्डिंग के सतत जारी मुख्य निर्माण कार्य परियोजनाओं हेत्।	(b) For ongoing Major Works projects of Supreme Court, Parliament Works, CBEC/CBDT, Stationery and Printing		500.00	500.00
नुख्य तिमाण काय पास्वाजनाजा हतु।  (ग) निम्नलिखित के लिए भूमि की खरीद हेतु, कोडाइकनाल में होली डे होम के निर्माण (₹400 करोड़), मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत बीडी मार्ग में लोकसभा के विभिन्न आवासीय परियोजना, लेखापरीक्षा तथा सीबीईसी/ सीबीडीटी (₹70 करोड़) और राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली के लिए आवासीय व्यवस्था के निर्माण के लिए (₹5 करोड़)।	Building at Minto Road, New Delhi.  (c) For purchase of land for Construction of Holiday Home at Kodaikanal (₹400 crore), various Housing projects of Lok Sabha at BD Marg, Audit and CBEC/CBDT under Major Works (₹70 crore) and construction of Residential Accommodation for Rajya Sabha Secretariat, New Delhi (₹5 crore).		475.00	475.00

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

## 59 उच्चतर शिक्षा विभाग

निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) केंद्रीय

# MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

## 59 Department of Higher Education

For meeting expenditure towards (i) Grants-

		राजस्व	ड़ रुपए Rupees पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
विश्वविद्यालय स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹50 करोड़), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) (₹29.35 करोड़) और (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालय स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹60 करोड़)।	in-aid General under the schemes Central Universities (₹50 Crore), Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA) (₹29.35 Crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries under the scheme Central Universities (₹60 Crore).	139.35		139.35
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
61 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन के तहत संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (₹20 करोड़) और मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली/भूतल और लघु सिंचाई के तहत (₹100 करोड़)।	61 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets to Union Territory of Jammu & Kashmir under National River Conservation Plan-Other Basin (₹20 crore) and under Repair, Renovation and Restoration/Surface and Minor Irrigation (₹100 crore).	120.00		120.00
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
65 निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्य में विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के परिसीमन के लिए मार्च 2020 के दौरान परिसीमन आयोग के स्थापना के व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure of De-limitation Commission set up during month of March, 2020 to de-limit the Assembly and Parliamentary Constituencies in the UT of J&K and the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland.	0.17		0.17
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
<ul> <li>(क) (i) विपदग्रस्त आस्ति निधियां योजना के तहत अंशदान (₹10 करोड़) एवं (ii) ब्याज आर्थिक सहायता योजना के तहत सब्सिडी (₹15 करोड़) के प्रति खर्चों को पूरा करने के लिए।</li> <li>(ख) (i) विपदग्रस्त आस्ति निधियों योजना के तहत अंशदान (₹90 करोड़) एवं (ii) ब्याज आर्थिक सहायता योजना के तहत सब्सिडी</li> </ul>	67 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises  (a) For meeting expenditure towards (i) Contribution under the scheme Distressed Assets Funds (₹10 crore) and (ii) Subsidies (₹15 crore) under the scheme Interest Subvention scheme (b) For meeting expenditure towards (i) Contribution under the scheme Distressed Assets Funds (₹90 crore) and	. 25.00		25.00
(₹135 करोड़) के प्रति व्यय को पूरा करने के लिए।	(ii) Subsidies (₹135 crore) under the scheme Interest Subvention scheme.	225.00		225.00
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
70. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹11.62 करोड़) एवं राष्ट्रीय वायु ऊर्जा संस्थान के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.39 करोड़) (ii) राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान के तहत	70 Ministry of New and Renewable Energy For providing (i) Grants-in-aid General (Rs.11.62 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.39 crore) under National Institute of Wind Energy (ii) Grants-in-aid			

General (₹1.20 crore) and Grants-in-aid

सामान्य सहायता अनुदान (₹1.20 करोड़) तथा

		राजस्व	ड़ रुपए Rupees पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	पूजा Capital	जाड़ Total
वेतन सहायता अनुदान (₹0.80 करोड़) तथा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹4.50 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2.50 करोड़) वेतन सहायता अनुदान (₹2 करोड़) प्रदान करने के लिए।	Salaries (₹0.80 crore) under National Institute of Bio Energy and Grants-in-aid General (₹4.50 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹2.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹2 crore) under National Institute of Solar Energy.	23.01		23.01
पंचायती राज मंत्रालय 71. पंचायती राज मंत्रालय ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी से मानचित्रण (स्वामित्व) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹77.39 करोड़) एवं कार्यालय व्यय (₹2.26 करोड़) के लिए।	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ  71 Ministry of Panchayati Raj  For providing Grants-in-aid General (₹77.39 crore) and Office Expenses (₹2.26 crore) under the scheme Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas (SVAMITVA).	79.65		79.65
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC			
73. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	GRIEVANCES AND PENSIONS  73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
(क) "राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम" की स्थापना हेतु। (ख) "राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण	<ul><li>(a) For setting up of "National Programme for Civil Services and Capacity Building".</li><li>(b) For meeting expenditure on "National Programme for Civil Services and Capacity Building".</li></ul>	100.00		100.00
कार्यक्रम" हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	Programme for Civil Services and Capacity Building".		100.00	100.00
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
75. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (i) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब घरों को एलपीजी कनेक्शन की योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त निधियां (₹13,000 करोड़) तथा (ii) इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के प्रति उत्तर-पूर्वी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थापना (₹278 करोड़)।	For (i) providing additional fund to the beneficiaries of scheme of LPG connection to poor households under Pradhan Mantri Ujwala Yojna as per Pradhan Mantri Garib Kalan Package (₹13,000 crore) and (ii) setting up of North East Natural Gas pipeline towards Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL) (₹278 crore).	13,278.00	1	3,278.00
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
76 योजना मंत्रालय (क) पुनरुद्धार एवं प्रत्यावर्तन योजना (₹9 करोड़) एवं सूचना प्रौद्योगिकी और (₹3 करोड़) के अंतर्गत लघु कार्यों एवं कार्यालय व्यय के प्रति अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	76 Ministry of Planning  (a) For meeting an additional expenditure towards Minor Works and Office Expenses under the schemes Renovation and alteration (₹9 crore) and Information			
(ख) विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय हेतु व्यावसायिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	<ul> <li>Technology (₹3 crore).</li> <li>(b) For meeting additional expenditure towards Professional Services for Development Monitoring and Evaluation</li> </ul>	12.00		12.00
	Office.	14.38		14.38

	अनुदाना का पूरक माग,	2020	0-2021 SUPPLEMENTARY DEMANDS FO	R GRANTS		(XV11)
				(करो	in Crore	
अनु	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सड़	क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MI	NISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
84	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	84	Ministry of Road Transport and Highways			
	अन्तर्राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस सहयोग संघ पेरिस के संबंध में शुल्क भुगतान हेतु अंशदान करने के		For meeting additional expenditure towards Contribution for payment of fee in respect			
	लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।		of International Cooperation Association of Road Congress, Paris.	0.08		0.08
ग्रार्म	गेण विकास मंत्रालय	MI	NISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
85	ग्रामीण विकास विभाग	85	Department of Rural Development			
	(क) (i) दीनदयाल उपाध्याय- ग्रामीण कौशल		(a) For providing Grants-in-aid General for			
	योजना हेतु (₹2.98 करोड़) अंडमान एवं		(i) Union Territory of Andaman &			
	निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र तथा		Nicobar Islands for Deen Dayal			
	(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना		Upadhyay-Gramin Kaushal Yojana			
	के तहत लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को (₹0.55		(₹2.98 crore) and (ii) Union Territory of			
	करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान		Ladakh (₹0.55 crore) under the scheme			
	करने के लिए।		National Rural Livelihood Mission.	3.53		3.53
	(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जम्मू और		(b) For providing Grants for Creation of			
	कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र को पूंजीगत आस्तियों		Capital Assets to Union Territory of			
	के सृजन हेतु अनुदान प्रदान के लिए।		Jammu & Kashmir under the scheme			
			Pradhan Mantri Awaas Yojana.	427.71	•••	427.71
86	भू-संसाधन विभाग	86	<b>Department of Land Resources</b>			
	जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के नवीन सृजित		For providing allocations under the scheme			
	संघ राज्य क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना		Integrated Watershed Devleopment Program			
	के एकीकृत जल संभरण विकास कार्यक्रम योजना		of Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojna for			
	के अंतर्गत आवंटन प्रदान करने (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹44.03 करोड़) तथा केंद्रीय सहायता		the newly created Union of Jammu and			
	योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु		Kashmir and Ladakh for (i) Grants-in-aid General (₹44.03 crore) and Grants for			
	अनुदान (₹0.01 करोड़) (ii) अनुसूचित जातियों		Creation of Capital Assets (₹0.01 crore)			
	हेतु विशेष घटक योजना के तहत सामान्य सहायता		under Central Assistance Plan (ii) Grants-			
	अनुदान (₹9.95 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों		in-aid General (₹9.95 crore) and Grants for			
	का सृजन हेतु अनुदान (₹0.01 करोड़) (iii)		Creation of Capital Assets (₹0.01 crore)			
	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत सामान्य		under Special Component Plan for			
	सहायता अनुदान (₹5.99 करोड़) तथा जनजातीय		Scheduled Castes and (iii) Grants-in-aid			
	क्षेत्र उप योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के		General (₹5.99 crore) and Grants for			
	सृजन हेतु अनुदान (₹0.01 करोड़)।		Creation of Capital Assets (₹0.01 crore)			
			under Tribal Area Sub Plan.	60.00		60.00
विइ	ान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	Ml	INISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
87	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	87				
	निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के		For meeting additional expenditure towards			
	लिए (i) श्री चित्र तिरुनल चिकित्सा विज्ञान		Grants-in-aid General (₹86 crore) and			
	और प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए सामान्य सहायता		Grants-in-aid Salaries (₹50 crore) for Sree			
	अनुदान (₹86 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान		Chitra Tirunal Institute for Medical Science			
	(₹50 करोड़) तथा (ii) स्वायत्त संस्थान और		and Technology and (ii) Grants-in-aid			
	वित्तीय निकायों के लिए सामान्य सहायता		General towards Autonomous Institutions			
	अनुदान (₹60 करोड़)।		and Professional Bodies (₹60 crore).	196.00	•••	196.00

					ड़ रुपए Rupees <del>गंजी</del>	
अनुव	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
साम	ाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	MI	NISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
92	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	92	Department of Social Justice And			
			Empowerment			
	निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i)		For meeting expenditure towards (i) Grants-			
	अनुसूचित जातियों के लिए मुफ्त कोचिंग स्कीम		in-aid General under the scheme free			
	के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹81 करोड़) और अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष		coaching for SCs (₹81 crore) and Special			
	केंद्रीय सहायता (₹5 करोड़) (ii) अनुसूचित जातियों		Central Assistance to SCs sub-plan (₹5			
	के लिए उच्चकोटि की शिक्षा के अंतर्गत छात्रवृत्ति/		crore) (ii) scholarship/stipend under Top			
	वृत्तिका (₹127 करोड़) (iii) अनुसूचित जाति के		Class Education for SCs (₹127 crore) (iii) subsidies under the scheme Vanchit Ikai			
	लिए वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक					
	सहायता योजना (वीआईएसवीएएस) अंतर्गत		Samooh aur Vargon ki Arthik Sahayata (VISVAS) Yojna for SCs (₹32.13 crore)			
	सब्सिडियां (₹32.13 करोड़) और अन्य पिछड़े वर्ग		and for OBCs (₹32 crore).	277.13		277.13
	के लिए (₹32 करोड़)।		and for OBCs (\\32 \text{Clore}).	211.13	•••	2//.12
्यंत	पर्मालक्ष (K32 पर्माङ्ग)। रिक्ष विभाग	DE	PARTMENT OF SPACE			
94			Department of Space			
J <b>4</b>	(क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) (₹0.75	77	(a) For meeting expenditure towards			
	करोड़) और लॉन्च सेवाओं के लिए राजस्व		Grant-in-aid General for Capacity			
	भाग (₹50 करोड़) के लिए सामान्य सहायता		Building Programme (CBP) (₹0.75			
	अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।		Crore) and Revenue share for launch			
			services (₹50 Crore).	50.75		50.75
	(ख) एडीआईटीवाईए (₹4.70 करोड़), जीएसएटी-		(b) For meeting expenditure towards	30.75		50.72
	29 (₹5 करोड़) और आरआईएसएटी-1ए		Machinery & Equipments for ADITYA			
	के अन्य पूंजीगत व्यय (₹62.50 करोड़)		(₹4.70 Crore), GSAT-29 (₹5 Crore) and			
	के लिए मशीनरी और उपकरण हेतु व्यय		Other Capital Expenditure of RISAT-1A			
	को पूरा करने के लिए।		(₹62.50 Crore).		72.20	72.20
सांि	ख्येकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MI	NISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
٥E	सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	05				
95	साख्यकाय एवं कायक्रम कायान्ययम मंत्रालय	95	Ministry of Statistics and Programme Implementation			
	भारत में सांख्यिकी सुधार हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम		For meeting expenditure towards new			
	की नई स्कीम का व्यय पूरा करने के लिए।		scheme National Programme for Improving			
	41 16 (41) 41 -44 90 41(14)		Quality of Statistics in India.	30.40		30.40
a	। मंत्रालय	м	NISTRY OF TEXTILES			
97	•	97	Ministry of Textiles			
J 1	(क) राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र योजना के अंतर्गत	)	(a) For meeting expenditure towards			
	सामान्य सहायता अनुदानों के व्यय को पूरा		Grants-in-aid General under the scheme			
	करने के लिए।		National Technical Textiles Mission.	15.00		15.00
	(ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए		(b) For meeting expenditure towards (i)	12.00	•••	15.00
	(i) वीआरएस तथा अन्य देनदारियों के		Grants-in-aid General under the scheme			
	निपटान हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों		Support to PSUs for clearing the VRS			
	को अनुदान स्कीम के अंतर्गत सामान्य		and other liabilities (₹200 crore) (ii)			
	सहायता अनुदान (₹200 करोड़) (ii) मूल्य		Subsidies under the scheme			
	समर्थित स्कीम के अंतर्गत कपास निगम		Procurement of Cotton by Cotton			
	द्वारा कपास की खरीद स्कीम के अंतर्गत		Corporation under Price Support scheme			

		(करो	ड़ रुपए Rupees	in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पर्यटन मंत्रालय 98 पर्यटन मंत्रालय निर्भया कोष में निधि अंतरण करने के लिए।	<ul><li>MINISTRY OF TOURISM</li><li>98 Ministry of Tourism</li><li>For transfer of funds to Nirbhaya Fund.</li></ul>	6.25		6.25
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
<ul> <li>401 युवा मामले और खेल मंत्रालय</li> <li>(क) राष्ट्रमंडल खेल स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभारों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।</li> <li>(ख) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन</li> </ul>	<ul> <li>(a) For meeting expenditure towards Other Charges under scheme Commonwealth\         Games.</li> <li>(a) For meeting expenditure towards         Grants for Creation of Capital Assets</li> </ul>	75.00		75.00
के लिए अनुदानों के व्यय को पूरा करने के लिए।	under the scheme Laxmibai National Institute of Physical Education.	3.50		3.50
कुल सांकेतिक	Total Token	0.50	0.13	0.63
भारत की समेकित निधि में से ₹73,70,00,000 करोड़	5. An advance of ₹73,70,00,000 was sanction India for meeting contingency requirement. This	will be reco		

पूरक मांगों के अनुमोदित होने के बाद इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

की अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गई थी। अनुदानों की the Supplementary Demands for Grants are approved.

कुल जोड़	GRAND TOTAL	2,02,468.80	33,384.07 2,35,852.87
निवल नकद अदायगी	Net Cash Outgo	1,61,522.21	5,461.70 1,66,983.91
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	40,946.09	27,922.24 68,868.33
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.50	0.13 0.63

# विषय सूची CONTENTS

							٠.	करोड़ in ₹	
піп	संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंर्ज Capita		पृष्ट Page
						Kevenue	Сарна	1 Iotai	rage
कृषि	एवं कृषक		MI	NISTRY OF AGRICULTURE AND					
	कल्याण मंत्रालय			FARMERS' WELFARE					
1.	कृषि, सहकारिता और किसान	0	1.	Department of Agriculture, Cooperation					
	कल्याण विभाग	स्वीकृत		and Farmers' Welfare	Voted	195.01	13.00	208.01	1
2.	कृषि अनुसंधान और	0	2.	Department of Agricultural Research					
	शिक्षा विभाग	स्वीकृत		and Education	Voted	0.01		0.01	3
आयुरे	र्वद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,	यूनानी,	MI	NISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND					
	सिद्ध तथा होम्योपैथी			NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA					
	(आयुष) मंत्रालय			AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
4.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित	सा,	4.	Ministry of Ayurveda, Yoga and					
	यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष)			Naturopathy, Unani, Siddha and					
	मंत्रालय	स्वीकृत		Homoeopathy (AYUSH)	Voted	200.00		200.00	4
रसार	न और उर्वरक मंत्रालय		MI	NISTRY OF CHEMICALS AND					
				FERTILIZERS					
5	रसायन और पेट्रोरसायन		5.	Department of Chemicals and					
	विभाग	स्वीकृत		Petrochemicals	Voted	0.02	73.70	73.72	5
7.	भेषज विभाग	स्वीकृत	7.	Department of Pharmaceuticals	Voted	0.01		0.01	6
नागर	विमानन मंत्रालय		MII	NISTRY OF CIVIL AVIATION					
8.	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8.	Ministry of Civil Aviation	Voted	19.35		19.35	7
कोय	ना मंत्रालय		MII	NISTRY OF COAL					
9.	कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	9.	Ministry of Coal	Voted	0.01		0.01	8
उपभं	क्ता मामले, खाद्य और		MII	NISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
	सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
14.	उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	14.	Department of Consumer Affairs	Voted	6000.00		6000.00	9
15.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	C		Department of Food and Public Distribution					
		स्वीकृत		•	Voted	10000.00		10000.00	10
कॉरप	ोरेट कार्य मंत्रालय	Č	MI	NISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
16.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	16.	Ministry of Corporate Affairs	Voted	0.01		0.01	11
रक्षा	मंत्रालय		MII	NISTRY OF DEFENCE					
18.	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	स्वीकृत		Ministry of Defence (Civil)	Voted	400.00	800.00	1200.00	12
	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत		Capital Outlay on Defence Services	Voted		150.00	150.00	13
पृथ्वी	विज्ञान मंत्रालय		MI	NISTRY OF EARTH SCIENCES					
-	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of Earth Sciences	Voted	0.01		0.01	14
इलैव	ट्रोनिकी और सूचना		MI	NISTRY OF ELECTRONICS AND					
•	प्रौद्योगिकी मंत्रालय			INFORMATION TECHNOLOGY					
		_	2.4						
24.	इलैक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगि	<del>'</del> চা	24.	Ministry of Electronics and Information					

					(₹	करोड़ in रै	crore)
				राजस्व	पूंर्ज		पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	l Total	Page
पर्यावरण, वन और जलवायु		MINISTRY OF ENVIRONMENT,					
परिवर्तन मंत्रालय		FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
25. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर		25. Ministry of Environment, Forests and					
मंत्रालय	स्वीकृत	Climate Change	Voted	0.02		0.02	16
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
26. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	26. Ministry of External Affairs	Voted	96.01	45.00	141.01	17
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
27. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	27. Department of Economic Affairs	Voted	69.90	6122.35	6192.25	18
29. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	29. Department of Financial Services	Voted	5232.00	21000.00	26232.00	19
32. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	32. Direct Taxes	Voted		0.02	0.02	21
34. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	स्वीकृत	34. Indian Audit and Accounts Department	Voted	50.00		50.00	22
38. राज्यों को अंतरण	भारित	38. Transfers to States Ch	arged	46602.43		46602.43	23
मत्स्यपालन, पशुपालन और		MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL					
डेयरी मंत्रालय		HUSBANDRY AND DAIRYING					
39. मत्स्य पालन विभाग	स्वीकृत	39. Department of Fisheries	Voted	0.04		0.04	24
40. पशुपालन और डेयरी	C	40. Department of Animal Husbandry					
विभाग	स्वीकृत		Voted	0.02		0.02	25
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		MINISTRY OF FOOD PROCESSING					
मंत्रालय		INDUSTRIES					
41. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	41. Ministry of Food Processing Industries	Voted	150.00		150.00	26
स्वास्थ्य एवं परिवार		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY					
कल्याण मंत्रालय		WELFARE					
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग		42. Department of Health and Family					
	स्वीकृत		Voted	10615.98	1141.01	11756.99	27
43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	43. Department of Health Research	Voted	2475.00		2475.00	29
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES					
		AND PUBLIC ENTERPRISES					
44. भारी उद्योग विभाग		44. Department of Heavy Industry	Voted	42.45		42.45	30
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
48. पुलिस	स्वीकृत	48. Police	Voted	0.01		0.01	31
51. दादरा और नगर हवेली एवं	C	51. Dadra and Nagar Haveli and					
दमन और दीव	स्वीकृत	Daman and Diu	Voted		0.01	0.01	32
52. लद्धाख	स्वीकृत	52. Ladakh	Voted	0.02		0.02	33
53. लक्षद्वीप	स्वीकृत	53. Lakshadweep	Voted	0.01	0.03	0.04	34
आवासन और शहरी		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN					
कार्य मंत्रालय		AFFAIRS					
57. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	भारित	57. Ministry of Housing and Urban Affairs	Voted	0.01	0.02	0.03	35
मानव संसाधन विकास	स्वीकृत	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE					
मंत्रालय		DEVELOPMENT					
59. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत		Voted	812.51	•••	812.51	36
	c						

(₹ करोड़ in ₹crore) जोड़ पुंजी राजस्व पृष्ठ मांग संख्या और शीर्षक No. and Title of Demand Capital **Total** Revenue **Page** जल शक्ति मंत्रालय MINISTRY OF JAL SHAKTI 61. जल संसाधन, नदी विकास 61. Department of Water Resources, River स्वीकृत और गंगा संरक्षण विभाग Development and Ganga Rejuvenation 0.01 0.01 Voted 38 श्रम और रोजगार मंत्रालय MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT श्रम और रोजगार मंत्रालय स्वीकृत 63. Ministry of Labour and Employment Voted 4860.00 39 4860.00 विधि और न्याय मंत्रालय MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 65. निर्वाचन आयोग स्वीकृत 65. Election Commission Voted 0.01 0.01 40 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MINISTRY OF MICRO, SMALL AND मंत्रालय MEDIUM ENTERPRISES सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम Ministry of Micro, Small and Medium मंत्रालय स्वीकृत 0.02 500.00 500.02 Enterprises Voted 41 नवीन तथा नवीकरणीय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ऊर्जा मंत्रालय ENERGY 70. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा 70. Ministry of New and Renewable Energy Voted 0.01 0.01 42 मंत्रालय स्वीकृत पंचायती राज मंत्रालय MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ 71. पंचायती राज मंत्रालय स्वीकृत 71. Ministry of Panchayati Raj Voted 0.01 0.01 43 कार्मिक, लोक शिकायत और MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC पेंशन मंत्रालय GRIEVANCES AND PENSIONS 73. कार्मिक, लोक शिकायत और Ministry of Personnel, Public पेंशन मंत्रालय स्वीकृत Grievances and Pensions Voted 0.01 0.01 0.02 44 पेट्रोलियम और प्राकृतिक MINISTRY OF PETROLEUM AND गैस मंत्रालय NATURAL GAS पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वीकृत 75. Ministry of Petroleum and Natural Gas Voted 0.01 3184.00 3184.01 45 योजना मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING 76. योजना मंत्रालय स्वीकृत Voted 0.02 0.02 76. Ministry of Planning 46 MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय 83. रेल मंत्रालय स्वीकृत 100.00 83. Ministry of Railways Voted 520.00 620.00 47 सडक परिवहन और MINISTRY OF ROAD TRANSPORT राजमार्ग मंत्रालय AND HIGHWAYS सड़क परिवहन और 84. Ministry of Road Transport and राजमार्ग मंत्रालय स्वीकृत Highways Voted 0.01 156.92 156.93 48 ग्रामीण विकास मंत्रालय MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT ग्रामीण विकास विभाग स्वीकृत 85. Department of Rural Development Voted 113771.50 ... 113771.50 49 भूमि संसाधन विभाग स्वीकृत Department of Land Resources Voted 0.01 0.01 51 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वीकृत 87. Department of Science and Technology 0.01 Voted 0.01 52

				(₹	करोड़ in रै	crore)
			राजस्व	पूंर्ज		पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand	Revenue	Capita	l Total	Page
88. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	88. Department of Biotechnology Voted	350.00		350.00	53
सामाजिक न्याय और		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND				
अधिकारिता मंत्रालय		EMPOWERMENT				
92. सामाजिक न्याय और		92. Department of Social Justice and				
अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	Empowerment Voted	0.01	•••	0.01	54
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE				
94. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	94. Department of Space Voted	0.01	0.01	0.02	55
सांख्यिकी और कार्यक्रम		MINISTRY OF STATISTICS AND				
कार्यान्वयन मंत्रालय		PROGRAMME IMPLEMENTATION				
95. सांख्यिकी और कार्यक्रम		95. Ministry of Statistics and Programme				
कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	Implementation Voted	0.01	•••	0.01	56
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES				
97. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Textiles Voted	0.02		0.02	57
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM				
98. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Tourism Voted	6.26		6.26	58
महिला और बाल विकास		MINISTRY OF WOMEN AND				
मंत्रालय		CHILD DEVELOPMENT				
100. महिला और बाल विकास मंत्रालय		100. Ministry of Women and Child				
	स्वीकृत	Development Voted		5.00	5.00	59
युवा मामले और		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS				
खेल मंत्रालय		AND SPORTS				
101. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	101. Ministry of Youth Affairs and Sports Voted	0.02		0.02	60
कुल जोड़		GRAND TOTAL	202468.80	33384.07	235852.87	
	भारित	Chargea	46602.43		46602.43	
	स्वीकृत	Voted	155866.37	33384.07	189250.44	

# मांग संख्या DEMAND NO 1

# कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

# DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(				,		भारित	स्वीकृत	(₹ करॉड़	र ) (In ₹ crores) जोड़
		_	L OBIONIAL OBANT			Charged	Voted		Total
	त्र अनुदाव -	7.	I. ORIGINAL GRANT:				124240 45		124240 45
राजस्व	q		Revenue				134349.45		134349.45
पूंजी			Capital				50.32		50.32
जोड़			Total			•••	134399.77		134399.77
इस स	मय आवश	यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the	amount	now				
			required:						
राजस्	व		Revenue				195.01		195.01
पूंजी			Capital				13.00		13.00
जोड़			Total				208.01		208.01
जोड़ (	मूल और प	ह्रक)	Total (Original plus Supplement	tary)		***	134607.78		134607.78
राजस्य	व		Revenue				134544.46		134544.46
पूंजी			Capital				63.32		63.32
			II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्न	निस्थित	मख्य शी	र्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा			
			II. This Supplementary Grants v						
			The cappionionally crame t	20 0.		भारित	स्वीकृत		जॊड
						Charged	Voted		Total
गाना	-व भाग		REVENUE SECTION			Onargou	Volod		Total
राजर मुख्य									
-		_	MAJOR HEAD					<i>(</i> \	
	-कृषि कार		2401-Crop Husbandry				187.20	(कa)	187.20
	-पूर्वोत्तर क्षे		2552-North Eastern Areas				7.80	(खb)	7.80
		। क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Ter	rritory G	overnm	ents	0.01	(गc)	0.01
अनुदा									
	राजस्व भ	ग)	Total (Revenue Section)			•••	195.01		195.01
पूंजी			CAPITAL SECTION						
मुख्य	शीर्ष		MAJOR HEAD						
4401	-फसल क	र्य पर पूंजी परिव्यय	4401-Capital Outlay on Crop Hเ	usbandr	у		13.00	(ਬd)	13.00
जोड़ (	पूरक)		Total (Supplementary)				208.01		208.01
यह प्र (क)	्क अनुदा (i)	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: कृषि अवसंरचना निधि स्कीम के अंत सब्सिडियों (₹ 119.83 करोड़) के लि	ार्गत सामान्य घटक (₹ 19.90 करोड़) और ए सामान्य सहायता अनुदान।	The s	supplem (i)	nentary Grants are require  Grants in aid General  and Subsidies (₹ 1	for General Co 19.83 crore)		
	(ii)		ांतर्गत अनुस्चित जातियों के लिए विशेष र सब्सिडियों (₹ 26.59 करोड़) के लिए		(ii)	Agriculture Infrastructul Grants-in-aid General Scheduled Castes (₹ 4 under the scheme of A	I for Special .48 crore) and	Subsidie	s (₹ 26.59 crore)
	(iii)	•	भंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना घटक 13.78 करोड़) के लिए सामान्य सहायता		(iii)	Grants-in-aid General (₹ 2.32 crore) and S scheme of Agriculture I	Subsidies (₹ 1	13.78 cr	•
	(iv)	•	ार्गत कार्यालयी व्यय (₹ 0.30 करोड़)।		(iv)	Office Expenses under Fund (₹ 0.30 crore).			ire Infrastructure
		उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।				The above expenditure	will entail a ne	t cash ou	ıtao:
(ख)	(i)	किष यंत्रीकरण पर उप-मिशन के	तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य	(b)	(i)	Grants-in-aid Genera			mponent under
( )	( )	सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए		(-)	( )	Sub-Mission on Agricul			-
	(ii)		ा एवं तेल पाम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र		(ii)	Grants-in-aid Genera			•
	(,		सहायता अनुदान (₹ 18.52 करोड़)।		(,	Component under Nat and Oil Palm (₹ 18.52 o	ional Food Se		
	(iii)	राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रब के लिए सामान्य सहायता अनुदान (	iधन परियोजना के अंतर्गत सामान्य घटक ₹ 28.85 करोड़)।		(iii)	Grants-in-aid General Project on Manager		•	
	(iv)	कृषि अवसंरचना निधि स्कीम के उ सब्सिडियों (₹ 17.80 करोड़) के लिए	भंतर्गत सामान्य घटक (₹ 3 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान।		(iv)	(₹ 28.85 crore).  Grants-in-aid General f Subsidies (₹ 17.80 cr Infrastructure Fund.			
		इस अनुदान के इसी खंड के तहत उ करोड़ का नकद व्यय होगा।	पलब्ध बचतों को देखते हु ए इसमें ₹ 7.80			Taking into account t section of the Grant this			
(ग)	(i)	करोड़) अनु सूचित जातियों के लिए वि	फसलें के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 8.88 वेशेष घटक योजना (एससीएसपी) (₹ 0.83 ाना (टीएसपी) घटक (₹ 1.19 करोड़) हेतु	(c)	(i)	Grants-in-aid General for Special Componer (₹ 0.83 crore) and for	for General Co nt Plan for Sc	omponen heduled	t (₹ 8.88 crore), Castes (SCSP)

#### सामान्य सहायता अनुदान।

- (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन एवं तेल पाम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 0.69 करोड़), एससीएसपी (₹ 0.02 करोड़) तथा टीएसपी घटक (₹ 0.01 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध पर उप-िमशन के अंतर्गत टिड्डी नियंत्रण (d) प्रचालनों के लिए मोटर वाहन (₹ 4 करोड़) और मशीनरी एवं उपस्कर (₹ 9 करोड़) हेतु व्यय करने के लिए। उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- $(\ensuremath{\mathfrak{T}}$  1.19 crore) under National Food Security Mission Other Crops.
- (ii) Grants-in-aid General for General Component (₹ 0.69 crore), for SCSP (₹ 0.02 crore) and for TSP Component (₹ 0.01 crore) under National Food Security Mission Oilseeds and Oil Palm. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. expenditure for Motor Vehicles (₹ 4 crore) and Machinery & Equipment (₹ 9 crore) for locust control operations under

Sub-Mission on Plant Protection and Plant Quarantine.

The above expenditure will entail a net cash outgo;

#### मांग संख्या DEMAND NO 2

# कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

· 10	•	,				
			(₹ करो	ड़ ) (In ₹ crores)		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		8362.58	8362.58		
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	•••	8362.58	8362.58		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	od:				
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01		
पूंजी	Capital					
जोड़	Total	•••	0.01	0.01		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	8362.59	8362.59		
राजस्व	Revenue	***	8362.59	8362.59		
पूंजी	Capital					
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2415-कृषि अन् संधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education		0.01	0.01		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्वच्छता कार्रवाई योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनु संधान परिषद मुख्यालय प्रशासन को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research Headquarter Administration under Swachhta Action Plan ( $\mathfrak T$  0.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 4

# आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹ करोड़ ) (In ₹ cr	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2122.08	2122.08
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		2122.08	2122.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		200.00	200.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		200.00	200.00
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		2322.08	2322.08
राजस्व	Revenue		2322.08	2322.08
प्ंजी	Capital	•••	•••	
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत f	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the	ne following Major H	lead	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		190.00	(कa) 190.00
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		10.00	(खb) 10.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	200.00	200.00

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

व्यय करने के लिए (i) अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों पार्टनरों को भुगतान हेतु अन्तरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की स्कीम के संबंध में अन्य प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत (₹ 24.90 करोड़)। (ii) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएण्डएच) के स्थापना व्यय के संबंध में (₹ 12.69 करोड़) और (iii) स्वायत निकाय के लिए प्ंजीगत संपत्ति के स्जन के लिए अनुदान (1) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकता (₹ 53 करोड़) (2) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (₹ 72 करोड़) (3) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (₹ 4 करोड़) (4) राष्ट्रीय प्राकृतिचिकित्सा संस्थान, पुणे (₹ 24 करोड़) (5) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर (₹ 37 करोड़)।

> इस अनुदान के इसी खंड के तहत उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 190 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) एनइआईएएच, शिलाँग में पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए (₹ 10 करोड़)।

इसमें ₹ 10 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

Meeting expenditure towards: (i) Other Administrative Expenses (₹ 24.90 crore) in respect of the Scheme Promotion of International Cooperation for making payment to International Institutes/partners. (ii) Establishment Expenditure in respect of Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine & Homeopathy (PCIM&H) (₹ 12.69 crore) and (iii) Grant for Creation of Capital Assets for Autonomous Bodies (ABs) (1) National Institute of Homoeopathy, Kolkata (₹ 53 crore), (2) All India Institute of Ayurveda (₹ 72 crore), (3) National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹ 4 crore), (4) National Institute of Naturopathy, Pune (₹ 24 crore) and (5) National Institute of Unani Medicine, Banglore (₹ 37 crore)

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 190 crore. Grant for Creation of Capital Asset to North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy (NEIAH), Shillong (₹ 10 crore) The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 10 crore.

#### मांग संख्या DEMAND NO 5

# रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

## DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹	₹ करोड़ ) (	(In ₹ cro
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
जस्व	Revenue		218.34		218.34
जी	Capital	***	•••		
<del>।</del> इ	Total		218.34		218.34
न समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:			
ज <b>स्</b> व	Revenue	***	0.02		0.02
जी	Capital	***	73.70		73.70
<del>।</del> इ	Total	•••	73.72		73.72
ाड़ (मूल और प् <b>र</b> क)	Total (Original plus Supplementary)	•••	292.06		292.06
जस्व	Revenue		218.36		218.36
जी	Capital		73.70		73.70
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for		lead		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION				
ज्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
l51-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(कa)	0.01
352-उद्योग	2852-Industries		0.01	(खb)	0.01
ोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02
जी भाग	CAPITAL SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
, 856-पेट्रो रसायन उदयोगों के लिए ऋण	6856-Loans for Petro-Chemical Industries		73.70	(गc)	73.70
ोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	***	73.72	,	73.72
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
ह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:	The supplement	ntary Grants are required fo	r:		
	इ), कार्यालय व्यय (₹ 0.16 करोड़) और सूचना (a)	meeting expenditure for Pr	oject Develop	ment Cell	s (PDC) a
प्रौद्योगिकी (अन्य व्यय) (₹ 0.1	2 करोड़) शीर्षों के अंतर्गत परियोजना विकास	an Investment Promotion	Cell under	heads	Professio
प्रकोष्ठों (पीडीसी) और निवेश संव	र्धन प्रकोष्ठ हेत द्यय परा करने के लिए।	Services (₹ 0.79 crore) (	Office Expense	es (₹ 0.16	6 crore) a

(क)	व्यावसायिक संवाए (₹ 0.79 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 0.16 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य व्यय) (₹ 0.12 करोड़) शीर्षों के अंतर्गत परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) और निवेश संवर्धन प्रकोष्ठ हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a)
(평)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए. सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। केंद्रीय पेट्रोल और रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) को सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत वेतन/मजदूरी तथा अन्य व्यय संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए (र 144 करोड़)।	(b)
(ग)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। देयताओं पर हु ए तत्काल व्यय को प्रतिसंतु लित करने के लिए तथा हिंदुस्तान फलोरोकार्बन्स लि. (एचएफएल) के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेनावृत्ति	(c)

गई अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति (₹ 73.70 करोड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

स्कीम/स्वैच्छिक पृथ्करण स्कीम हेतु भारत की आकस्मिकता निधि में से ली

Services (₹ 0.79 crore), Office Expenses (₹ 0.16 crore) and Information Technology(OE) (₹ 0.12 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure relating to Salaries/Wages and other establishment expenditure under Grant-in-Aid General to Institute of Petrochemicals Engineering and Technology (CIPET) (₹ 144 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

recoupment of advance from the Contingency Fund of India (₹ 73.70 crore) for off-setting the immediate expenditure on liabilities as well as VRS/VSS for the employees of Hindustan Flurocarbons Ltd.(HFL).

The above expenditure will entail a cash outgo;

#### मांग संख्या DEMAND NO 7

#### भेषज विभाग

#### **DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹ करोड़	r) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		326.40	326.40
पूंजी	Capital		7.18	7.18
जोड़	Total		333.58	333.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		333.59	333.59
राजस्व	Revenue		326.41	326.41
पूंजी	Capital		7.18	7.18
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	e following Major Head	:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान (एनआईपीईआर),मोहाली के नियमित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया राशि का भुगतान (र 9.55 करोड़), (ii) चिकित्सकीय उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)स्कीम (र 2 करोड़) और (iii) महत्वपूर्ण केएसएम/ औषध मध्यवर्ती एवं एपीआई के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (र 1.55 करोड़) के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

(i) the payment of arrears to regular employees and pensioners of National institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Mohali (₹ 9.55 crore), (ii) Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Promoting Domestic Manufacturing for Medical Device" (₹ 2 crore) and (iii) Production Linked Incentive (PLI) Scheme for promotion of domestic manufacturing of critical KSMs/Drug Intermediates and APIs (₹ 1.55 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 8

# नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

			(	( 41815 )	(III \ CI OI es
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		3771.74		3771.74
पूंजी	Capital	***	25.97		25.97
जोड़	Total		3797.71		3797.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:			
राजस्व	Revenue	***	19.35		19.35
पूंजी	Capital	***			***
जोड़	Total	•••	19.35		19.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	3817.06		3817.06
राजस्व	Revenue		3791.09		3791.09
पूंजी	Capital		25.97		25.97
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for		Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		19.34	( <b>क</b> a)	19.34
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		19.35	. ,	19.35
•	•				

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) व्यावसायिक सेवाओं के तहत व्यय (₹ 19.34 करोड़)

इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) कौशल विकास के लिए नागर विमानन क्षेत्र में संस्थाओं को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोइ)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(a) expenditure under Professional Services (₹ 19.34 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

Grants-in-aid General to institutions in Civil Aviation Sector for

Skill Development (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 9

## कोयला मंत्रालय

#### MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹ करोड़	r) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		882.61	882.61
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		882.61	882.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		882.62	882.62
राजस्व	Revenue		882.62	882.62
प्ंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	नर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unc	der the following Major Head:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) 'कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण'- स्कीम की 'क्षेत्रीय अन्वेषण' उप-स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अन्दान प्रदान करने के लिए (₹ 230.00 करोड़) ।
- (ii) 'कोयला क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास' स्कीम के 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 20.00 करोड़)।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- i) providing Grants-in-aid General under the sub-scheme 'Regional Exploration' of scheme - 'Exploration of Coal and Lignite' (₹ 230.00 crore).
- (ii) subsidies under 'Tribal Area Sub Plan' of the scheme 'Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas' (₹ 20.00 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 14

# उपभोक्ता मामले विभाग **DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Total Charged Voted ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व 2505.60 2505.60 Revenue पूंजी Capital 55.40 55.40 जोड 2561.00 2561.00 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 6000.00 6000.00 पूंजी Capital जोड 6000.00 6000.00 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 8561.00 8561.00 ... राजस्व 8505.60 8505.60 Revenue पूंजी 55.40 Capital 55.40 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3456-नागरिक आपूर्ति 3456-Civil Supplies 6000.00 6000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मूल्य स्थिरीकरण निधि के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान

(₹ 6000 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid General under Price Stabilization Fund

(₹ 6000 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

#### मांग संख्या DEMAND NO 15

# खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

# (केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोंड ) (In ₹ crores)

			(र क	राइ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	121038.41	121038.41
पूंजी	Capital		51197.02	51197.02
जोड़	Total		172235.43	172235.43
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		10000.00	10000.00
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		10000.00	10000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		182235.43	182235.43
राजस्व	Revenue		131038.41	131038.41
पूंजी	Capital	•••	51197.02	51197.02
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	er the following Major He	ead:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing		10000.00	10000.00

यह प्र्क अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय खादय निगम को प्रतिपूर्ति हेतु डीसीपी राज्यों को खादय सब्सिडी के लिए (₹ 10,000 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा। The supplementary Grant is required for:

food subsidy to DCP States under National Food Security Act
(₹ 10,000 crore)

(₹ 10,000 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

### मांग संख्या DEMAND NO 16

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			r) (In ₹ crores)	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	700.62	700.62
पूंजी	Capital	•••	52.00	52.00
जोड़	Total	•••	752.62	752.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		752.63	752.63
राजस्व	Revenue		700.63	700.63
पूंजी	Capital	•••	52.00	52.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखार	पा जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the foll	owing Major Head		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

 पूर्वी किदवई नगर में कार्यालय स्थल के अधिग्रहण हेतु स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को ₹ 12.18 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

(I) providing additional Grants for Creation of Capital Assets of ₹ 12.18 crore for Competition Commission of India for payment of Stamp Duty towards acquisition of office accommodation at East Kidwai Nagar.

#### मांग संख्या DEMAND NO 18

## रक्षा मंत्रालय (नागरिक) MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18-19 देखिये)

रणनीतिक एवं सीमांत सड़कों का निर्माण (₹ 720 करोड़);

इसमें नकद व्यय होगा।

(ङ)

(See page 18-19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व 29991.34 29992.00 Revenue 0.66 पूंजी Capital 40.00 7206.00 7246.00 जोड़ Total 40.66 37197.34 37238.00 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अन्मान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 400.00 400.00 पूंजी Capital 800.00 800.00 ... जोड 1200.00 Total 1200.00 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 40.66 38397.34 38438.00 राजस्व Revenue 0.66 30391.34 30392.00 पूंजी Capital 40.00 8006.00 8046.00 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 3 00 (कa) 3 00 3054-सड़क और पूल 370.00 370.00 3054-Roads and Bridges (खb) 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 27.00 27.00 ... जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 400.00 400.00 पूंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4552-पूर्वीतर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय 4552-Capital Outlay on North Eastern Areas 80.00 (ਬd) 80.00 5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges 720.00 720.00 800.00 जोड़ (पूंजी भाग) 800.00 Total (Capital Section) जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 1200.00 1200.00 यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सामरिक महत्व की और सीमांत सड़कों के लिए पूंजीगत (a) providing grants for creation of capital assets for strategic and परिसंपतियों के सृजन हेतु अनुदान उपलब्ध कराना (₹ 3 करोड़ ); border roads in North-Eastern areas (₹ 3 crore): इसमें नकद व्यय होगा। This will entail cash outgo. (ख) सीमांत एवं रणनीतिक क्षेत्रों में सड़कों का रखरखाव (₹ 370 करोड़ ); (b) maintenance of roads in border and strategic areas (₹ 370 crore ); इसमें नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail cash outgo. ₹ 27 करोड़ की पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राज्य सरकारों को अनुदान providing grants to State Governments for creation of capital (ग) (c) उपलब्ध कराना। assets amounting to ₹ 27 crore; इसमें नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail cash outgo. (ঘ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में रणनीतिक एवं सीमांत सड़कों का निर्माण (₹ 80 करोड़); (d) construction of strategic and border roads in North Eastern areas (₹ 80 crore): इसमें नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail cash outgo.

(e)

construction of strategic and border roads (₹ 720 crore);

The above expenditure will entail cash outgo.

### मांग संख्या DEMAND NO 20

## रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

			(र कराड़ ) (In र		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***			
पूंजी	Capital	107.50	113626.50	113734.00	
जोड़	Total	107.50	113626.50	113734.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue				
प्ंजी	Capital		150.00	150.00	
जोड़	Total		150.00	150.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	107.50	113776.50	113884.00	
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital	107.50	113776.50	113884.00	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	तर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unc	der the following Major H	ead:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services		150.00	150.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) वायु सेना के लिए पूंजीगत अधिग्रहण हेतु ₹ 1,086 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (ii) सेंट्रल विस्टा परियोजना के संबंध में कार्यालय का निर्माण करने के लिए (₹ 150 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हु ए, इसमें ₹ 150 करोड़ का नकद पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

 (i) additional expenditure of ₹ 1,086 crore towards capital acquisition for Air Force and (ii) construction of offices in connection with Central Vista Project (₹ 150 crore);

Taking into account the savings available in same section of the Grant, cash supplementary for ₹ 150 crore is sought.

### मांग संख्या DEMAND NO 23

# पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

### MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹ करोड़ ) (In ₹ cror		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		1902.44	1902.44	
पूंजी	Capital		172.00	172.00	
जोड़	Total		2074.44	2074.44	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2074.45	2074.45	
राजस्व	Revenue		1902.45	1902.45	
पूंजी	Capital		172.00	172.00	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	न दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	the following Major Head	l:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3455-मौसम विज्ञान	3455-Meteorology		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पेशन और अन्य सेनानिवृति लाभों का भुगतान करने के लिए भारतीय उष्णकिटबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 10.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Grants-in-aid General under Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) for payment of pension and other retirement benefits (₹ 10.50 crore).

### मांग संख्या DEMAND NO 24

## इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

Goo page 20 or the Bomanae for Grante	or contrar covernment for the year Leze Lez 1,				
			(₹ करोड़	) (In ₹ crores)	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		6524.03	6524.03	
पूंजी	Capital		375.00	375.00	
जोड़	Total		6899.03	6899.03	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue			•••	
पूंजी	Capital		92.99	92.99	
जोड़	Total		92.99	92.99	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6992.02	6992.02	
राजस्व	Revenue		6524.03	6524.03	
पूंजी	Capital	•••	467.99	467.99	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिख	गया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओ पर पूंजी परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services		92.99	92.99	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय सूचना विजान केंद्र के अंतर्गत "आंकड़ा केंद्र और क्लाउड सेवाएं" के संबंध में मशीनरी और उपस्करों हेत् व्यय पूरा करने के लिए (₹ 92.99 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards Machinery and Equipment in respect of "Data Centres and Cloud Services" under National Informatics Centre (₹ 92.99 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

#### मांग संख्या DEMAND NO 25

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोंड़ ) (In ₹ crores)

			(	( 47(15 ) (III ( CI UI ES)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	3052.23	3052.23
पूंजी	Capital		157.55	157.55
जोड़	Total	***	3209.78	3209.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	***	0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	3209.80	3209.80
राजस्व	Revenue		3052.25	3052.25
प्ंजी	Capital		157.55	157.55
	॥. इस प्र्क अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for ur	nder the following Major H	lead	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life		0.01	( <b>क</b> a) 0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02	0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

 (क) ग्रीन इंडिया मिशन- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करने के लिए (₹ 3.10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए 1 (i) राष्ट्रीय तटीय मिशन (₹ 200 करोड़) (ईएपी) तथा (ii) राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के लिए टीएसपी (₹ 6 करोड़) एससीएसपी (₹ 6 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और 2 (i) प्रदूषण रोकथाम (₹ 24.12 करोड़) (ii) जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान (₹ 21 करोड़) हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

 meeting expenditure towards GIA general towards Green India Mission-National Afforestation Programme (₹ 3.10 crore)

> Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid-General (i) for National Coastal Mission (₹ 200 crore) (EAP) and (ii) under TSP (₹ 6 crore) and SCSP (₹ 6 crore) for National Mission on Himalayan Studies and 2. Grants for Creation of Capital Assets for (i) Pollution Abatement (₹ 24.12 crore) and (ii) GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development (₹ 21 crore).

#### मांग संख्या DEMAND NO 26

#### विदेश मंत्रालय

#### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021) (₹ करोड़ ) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 0.03 16014 40 16014 43 पूंजी Capital 1332.28 1332.28 जोड Total 0.03 17346.68 17346.71 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 96.01 96.01 पूंजी Capital 45.00 45.00 जोड Total 141.01 141.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 0.03 17487.69 17487.72 राजस्व Revenue 0.03 16110.41 16110.44 पूंजी Capital 1377.28 1377.28 II. इस पुरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head स्वीकृत जॊड़ भारित Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2052-Secretariat-General Services 15.00 (**कa**) 15.00 2061-विदेशी मामले 2061-External Affairs (खb) 81.00 81.00 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक 3605-Technical and Economic Co-operation with Other 0.01 (गc) 0.01 सहयोग Countries जोड़ (राजस्व भाग) **Total (Revenue Section)** 96.01 96.01 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय 4059-Capital Outlay on Public Works 45 00 (된d) 45 00 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 141.01 141.01 यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: जी 20 भारत की अध्यक्षता 2022 के लिए तैयारी करने संबंधी कार्यकलाप शुरु meeting additional funds towards Office Expenses (₹ 10 crore), (क) (a) करने के लिए कार्यालय व्यय (₹ 10 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 3 करोड़) Other Administrative Expenses (₹ 3 crore) and Professional तथा व्यावसायिक सेवाएं (₹ 2 करोड़) हेत् अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। Services (₹ 2 crore) for initiating preparatory activities for G20 India Presidency 2022 मांग सं. 27 - आर्थिक कार्य विभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में Taking into account the surrender of funds available in the रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। Demand No. 27 - DEA, this will not entail any additional cash एयर इंडिया को वीवीआईपी वायुयान के अनुरक्षण (₹ 81 करोड़) और पासपोर्ट payment towards maintenance of VVIP aircraft to Air India (ख) (b) सेवा परियोजाओं के लिए टीसीएस तथा अन्य सेवा प्रदाताओं को उनके दवारा (₹ 81 crore) and for additional funds for TCS and other service प्रदत्त सेवाओं का भुगतान करने के लिए (₹ 280 करोड़)। provider for their services for Passport Seva Projects (₹ 280 crore) अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हू ए, इसमें Taking into account the savings available in the same section of ₹ 81 करोड़ का नकद व्यय होगा। the Grant, the above expenditure will entail cash outgo सांस्कृतिक व धरोहर परियोजनाओं हेत् सहायता स्कीम के अंतर्गत सांस्कृतिक, meeting funds towards Contribution for development of cultural, (ग) (c) संरक्षण एवं धरोहर परियोजनाओं के विकास के लिए अंशदान हेत् निधियां प्रदान conservation and heritage projects under the scheme Aid for करने के लिए (₹ 10 करोड़)। cultural and heritage Projects (₹ 10 crore). अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of अनुदान मांगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought. जी 20 भारत अध्यक्षता 2022 के लिए प्रवासी भारतीय केन्द्र के नवीकरण और (ঘ) (d) meeting additional funds required for renovation and अन् रक्षण के लिए आवश्यक अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। maintenance of Pravasi Bharatiya Kendra for G20 India Presidency 2022. मांग सं. 27 - आर्थिक कार्य विभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में Taking into account the surrender of savings available in the

Demand No. 27 - DEA, this will not entail any additional cash

outgo.

#### मांग संख्या DEMAND NO 27

### आर्थिक कार्य विभाग

### **DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 3338 25 3338 25 पूंजी 48320.71 Capital 48320.71 जोड Total 51658.96 51658.96 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 69.90 राजस्व Revenue 69.90 पूंजी Capital 6122.35 6122.35 जोड 6192.25 6192.25 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 57851.21 57851.21 ... राजस्व Revenue 3408.15 3408.15 पूंजी Capital 54443.06 54443.06 II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड़ भारित स्वीकृत Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं 3466-International Financial Institutions 69.89 (**कa**) 69.89 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 3475-Other General Economic Services (खb) 0.01 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 69.90 69.90 पूंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 5465-सामान्य वितीय और व्यापारिक संस्थानों में 5465-Investments in General Financial and Trading 0.01 (गc) 0.01 निवेश Institutions 5466-अंतर्राष्ट्रीय वितीय संस्थानों में निवेश 6122 33 5466-Investments in International Financial Institutions 6122 33 (된d) 7466-अंतर्राष्ट्रीय वितीय संस्थानों के लिए ऋण 7466-Loans to International Financial Institutions 0.01 0.01 जोड़ (पूंजी भाग) **Total (Capital Section)** 6122.35 6122.35 जोड़ (पूरक) 6192 25 6192 25 Total (Supplementary) यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: अफ्रीकी विकास कोष (एडीएफ-15) के प्रति अंशदान (₹ 69.89 करोड़)। व्यय को Contribution towards African Development Fund (ADF-15) (क) (a) प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा। (₹ 69.89 crore). The expenditure will be matched by receipts through issue of securities. प्राप्तियों से पूर्ति होने को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। Taking into account the matching receipts, the above expenditure will not entail any cash outgo; अन्तर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण को भुगतान (₹ 10 करोड़)। (ख) (b) payment towards International Financial Services Centres Authority (₹ 10 crore) अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of अन्दान मांगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought. सस्ते एवं मध्य-आय आवासन हेत् विशेष विन्डो में निवेश (₹ 1366.14 करोड़) (ग) Investment in Special window for affordable and middle-income (c) housing (₹ 1366.14 crore). अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए -आईएमएफ दायित्व (₹ 6122.33 करोड़) मूल्य (ঘ) (d) Meeting expenditure towards Maintenance of Value (MoV)-बनाएँ रखने के प्रति व्यय को पूरा करना। IMF Obligation (₹ 6122.33 crore) through issue of प्राप्तियों से पूर्ति होने को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। Taking into account the matching receipts, the above expenditure will not entail any cash outgo. अफ्रीकी विकास बैेंंक (एएफडीबी) को ब्रिज (₹ 58.45 करोड़) (량) (e) Bridge Loan to African Development Bank (AfDB) (₹ 58.45 crore) चूंकि अनुदान के इस भाग में बचत उपलब्ध है इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान As saving is available in the same section of the Grant, a token मांगा गया है। supplementary is sought.

### मांग संख्या DEMAND NO 29

### वित्तीय सेवा विभाग

### **DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

				(₹ करोंड़	ਫ਼ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	1474.97		1474.97
पूंजी	Capital		27600.05		27600.05
जोड़	Total	***	29075.02		29075.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now required:				
अनुमान:					
राजस्व	Revenue		5232.00		5232.00
प्ंजी	Capital		21000.00		21000.00
जोड़	Total		26232.00		26232.00
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		55307.02		55307.02
राजस्व	Revenue	•••	6706.97		6706.97
पूंजी	Capital	•••	48600.05		48600.05
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत	ा दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under		ead		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals		1232.00	( <b>क</b> a)	1232.00
3465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक	3465-General Financial and Trading Institutions		4000.00	(खb)	4000.00
संस्थान जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Bayanya Saction)		5232.00		5232.00
जाड़ (राजस्य माग) <i>पूंजी भाग</i>	Total (Revenue Section)	•••	5232.00		5232.00
नूजा माग मुख्य शीर्ष	CAPITAL SECTION				
<b>मुख्य शाप</b> 5465-सामान्य वितीय और व्यापारिक	MAJOR HEAD		20000 00	( <del></del> -)	00000 00
संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	***	20000.00	(गc)	20000.00
7465-सामान्य वितीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	7465-Loans to General Financial and Trading Institutions		1000.00	(घd)	1000.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	***	21000.00		21000.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		26232.00		26232.00
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नी घटाकर समायोजित किया जाता है!				
	Note: The above estimates of additional requirements do r	not take into account t	he recoveries sh	own below	, which are
	adjusted in reduction of expenditure.				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
7465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	7465-Loans to General Financial and Trading Institutions		(-)1000.00		(-)1000.00

### यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत शिशु ऋण की तुरंत अदायगी (क) पर 2% के ब्याज आर्थिक सहायता हेत् भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को सब्सिडी के रूप में ₹ 1232 करोड़। Mudra Yojana (PMMY) . इसमें नकद व्यय होगा। एमएसएमई उधारकर्ता को गारंटी तत्काल ऋण श्रृंखला (जीईसीएल) हेतु राष्ट्रीय (ख) (b) ऋण गारंटी-न्यास कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) को सामान्य सहायता अन्दान के रूप में ₹ 4000 करोड़ की अतिरिक्त राशि। इसमें नकद व्यय होगा। सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः (ग)

पूंजीकरण के लिए ₹ 20000 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

₹ 1232 crore as Subsidy to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) on Interest Subvention of 2% on prompt repayment of Shishu Loans extended under Pradhan Mantri

The above expenditure will entail a cash outgo;

meeting expenditure of ₹ 4000 crore as Grant-in-aid-General to National Credit Guarantee Trustee Company Limited(NCGTC) for the Guarantee Emergency Credit Line (GECL) facility to eligible MSME borrowers.

The above expenditure will entail a cash outgo;

meeting additional expenditure of ₹ 20000 crore towards recapitalisation of Public Sector Banks through issue of Government securities.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रतिभूतियों के निर्गम पर अतिरिक्त पावतियों को लेखे में लेने से कोई अतिरिक्त नकद ट्यय नहीं होगा।

(घ) सरकार द्वारा दी गई शुरुआती गारंटी पर दावों के निपटान हेतु निम्निलिखित के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए (i) आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना (₹ 500 करोड़) तथा (ii) विशेष लिक्विडिटी योजना ट्रस्ट (₹ 500 करोड़)।

> यह राशि भारत के लोक लेखा में रखे 'गारंटी मोचन निधि' से प्राप्त की जानी प्रस्तावित है। इस प्रकार, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

After taking into account the additional receipts on issue of securities to the Public Sector Banks, this supplementary will not entail cash outgo.

Meeting expenditure towards Loan for settlement of claims on invoking guarantee given by Government under (i) Partial Credit Guarantee Scheme (₹ 500 crore) and (ii) Special Liquidity Scheme Trust (₹ 500 crore)

This amount is proposed to be met from 'Guarantee Redemption Fund' kept in the Public Account of India. Hence, this will not entail cash outgo.

### मांग संख्या DEMAND NO 32

### प्रत्यक्ष कर

### **DIRECT TAXES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड ) (In ₹ crores

			(	(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	7733.39	7733.39
पूंजी	Capital	***	332.00	332.00
जोड़	Total		8065.39	8065.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:	:		
राजस्व	Revenue	***		***
पूंजी	Capital	***	0.02	0.02
जोड़	Total	***	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		8065.41	8065.41
राजस्व	Revenue	•••	7733.39	7733.39
पूंजी	Capital	•••	332.02	332.02
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के 3	ांतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u	nder the following Major H	Head	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(कa) 0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (प्ंजी भाग) <sup>``</sup>	Total (Capital Section)		0.02	0.02

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) नौरोजी नगर वाणिज्यिक परिसर, नई दिल्ली में एनबीसीसी के माध्यम से कार्यालय स्थल का क्रय तथा निर्माण (र 3 करोड़), (ii) कार्यालय भवन निर्माण के लिए गुरुग्राम में 2.03 एकड़ भूमि की खरीद (र 4 करोड़), (iii) प्रत्यक्ष कर भवन, नई दिल्ली में कार्य समाप्त करने तथा कार्यालय सुसज्जित करने हेतु भुगतान (र 5.64 करोड़), (iv) सिंधिया हाऊस, बलार्ड एस्टेट, मुंबई में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्य (र 9.42 करोड़), (v) एर्नाकुलम, कोच्चि, केरल में आयकर भवन कार्यालय परिसर का निर्माण (र 10 करोड़), तथा (vi) गुंदूर, आंध्र प्रदेश में कार्यालय परिसर का निर्माण के लिए 5.02 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु (र 20.90 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) डिब्र्गढ़ में आयकर विभाग के आवासीय परिसर का निर्माण (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(i) Purchase of office accommodation and construction through NBCC at Nauroji Nagar Commercial Complex, New Delhi (₹ 3 crore), (ii) Purchase of land measuring 2.03 acre at Gurugram for construction of office building (₹ 4 crore), (iii) Payment towards finishing and furnishing work carried out at Pratyaksh Kar Bhawan, New Delhi (₹ 5.64 crore), (iv) Civil, Electrical and Mechanical works at Scindia House, Ballard Estate, Mumbai (₹ 9.42 crore), (v) Construction of Office Complex Aayakar Bhawan at Ernakulam, Kochi, Kerala (₹ 10 crore), and (vi) Acquisition of Government land measuring 5.02 acre for construction of office and staff quarters at Guntur, Andhra Pradesh (₹ 20.90 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Construction of residential complex of Income Tax Department at Dibrugarh (₹ 5 crore).

### मांग संख्या DEMAND NO 34

## भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹ करॉड़ ) (In ₹ cro		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	186.46	5178.81	5365.27	
पूंजी	Capital		18.00	18.00	
जोड़	Total	186.46	5196.81	5383.27	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		50.00	50.00	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		50.00	50.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	186.46	5246.81	5433.27	
राजस्व	Revenue	186.46	5228.81	5415.27	
पूंजी	Capital	<b></b>	18.00	18.00	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत वि	देखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	e following Major Hea	d:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit		50.00	50.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"एक आईएएडी, एक प्रणाली" के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure for "One IAAD, One System"

The above expenditure will entail a cash outgo.

### मांग संख्या DEMAND NO 38

## राज्यों को अंतरण TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोद ) (In ₹ crores)

			( <i>र</i> क	∢ış ) (ın ₹ crore
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	149924.80	46930.00	196854.80
पूंजी	Capital	25100.00		25100.00
जोड़	Total	175024.80	46930.00	221954.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
राजस्व	Revenue	46602.43		46602.43
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	46602.43	•••	46602.43
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	221627.23	46930.00	268557.23
राजस्व	Revenue	196527.23	46930.00	243457.23
पूंजी	Capital	25100.00		25100.00
	II. इस पूरक अन्दान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख	ह्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेग	т:	
	II. This Supplementary Grant/Appropriation will be a	accounted for under the follow	wing Major Head:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	46602.43		46602.43

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन (र 44340 करोड़) तथा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (₹ 2262.43 करोड़) हेतु सहायता अनुदान।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

providing additional allocation under Post Devolution Revenue Deficit Grant (₹ 44340 crore and Grants-in-Aid General for States Disaster Response Fund (₹ 2262.43 crore) as per accepted recommendations of Fifteenth Finance Commission.

The above expenditure will entail a cash outgo.

### मांग संख्या DEMAND NO 39

### मत्स्य पालन विभाग

### **DEPARTMENT OF FISHERIES**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		805.84		805.84
पूंजी	Capital		19.16		19.16
जोड़	Total		825.00		825.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.04		0.04
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		0.04		0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		825.04		825.04
राजस्व	Revenue		805.88		805.88
प्ंजी	Capital	•••	19.16		19.16
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unde	r the following Maj	or Head		
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries	***	0.01	( <b>क</b> a)	0.01
2552-पूर्वीत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(गc)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	(ঘd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.04		0.04

(b)

(c)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

- (क) (i) प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत व्यावसायिक सेवा पर व्यय (₹ 0.20 करोड़)।
  - (ii) पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 4.60 करोड़), अनुस्चित जाति उप-योजना (₹ 0.80 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 0.40 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।
    - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 41 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹ 9 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 6 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 351 करोड़), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹ 68 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 32 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 25 करोइ), अनुसूचित जाति उप-योजना (₹ 15 करोइ), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 7 करोइ) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- a) (i) expenditure on Professional Service under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) (₹ 0.20 crore).
  - (ii) Grants-in-aid General under General Component (₹ 4.60 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (₹ 0.80 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹ 0.40 crore) under PMMSY.
    - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - Grants-in-aid General under General Component (₹ 41 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (₹ 9 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹ 6 crore) under PMMSY.
    - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
    - Grants-in-aid General under General Component (₹ 351 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (₹ 68 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹ 32 crore) under PMMSY.
    - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
    - Grants-in-aid General under General Component (₹ 25 crore), Scheduled Castes Sub-Plan (₹ 15 crore), Tribal Area Sub-Plan (₹ 7 crore) under PMMSY.
      - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 40

## पशु पालन और डेरी कार्य विभाग DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

			(	( 47(15 ) (	III & CIOIE	<i>)</i>
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		3657.42		3657.42	
पूंजी	Capital		46.71		46.71	
जोड़	Total		3704.13		3704.13	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.02		0.02	
प्ंजी	Capital					
जोड़	Total		0.02		0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3704.15		3704.15	
राजस्व	Revenue		3657.44		3657.44	
पूंजी	Capital	•••	46.71		46.71	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un	der the following Major H				
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry		0.01	(कa)	0.01	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय पशु धन मिशन के अन्तर्गत सामान्य घटक के लिए (₹ 34.80 करोड़), एससीएसपी घटक (₹ 8 करोड़) और टीएएसपी घटक (₹ 8 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अन्दान।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) राष्ट्रीय पशु धन मिशन के तहत सामान्य घटक के लिए (₹ 7 करोइ), एससीएसपी घटक के लिए (₹ 3.40 करोइ) और टीएएसपी घटक के लिए (₹ 1.40 करोइ) हेतु सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में ऱखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

a) Grants-in-aid General for General Component (₹ 34.80 crore), for Scheduled Castes Sub-Plan(SCSP) component (₹ 8 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (TASP) Component (₹ 8 crore) under National Livestock Mission.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid General for General Component (₹ 7 crore), for SCSP Component (₹ 3.40 crore) and for TASP component (₹ 1.40 crore) under National Livestock Mission.

#### मांग संख्या DEMAND NO 41

## खादय प्रसंस्करण उदयोग मंत्रालय MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

इसमें नकद व्यय होगा।

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Total Charged Voted ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व 1232.94 Revenue 1232 94 पूंजी Capital जोड 1232.94 1232.94 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 150.00 150.00 Revenue पूंजी Capital जोड 150.00 150.00 Total जोड़ (मूल और पुरक) Total (Original plus Supplementary) 1382.94 1382.94 ... राजस्व 1382.94 Revenue 1382.94 पूंजी Capital II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2408-खादय भंडारण और भाण्डागारण 140.00 2408-Food Storage and Warehousing 140.00 (**क**a) 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 10.00 (खb) 10.00 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 150.00 150.00 यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण स्कीम (पीएम-एफएमई) (क) meeting expenditure under the scheme of PM Formalization of स्कीम के अन्तर्गत व्यय करने के लिए (i) कार्यालय व्यय (₹ 5 करोड), (ii) अन्य Micro Food Processing Enterprises (PM-FME) towards प्रशासनिक व्यय (₹ 5 करोड़), (iii) व्यावसायिक सेवाएं (₹ 3 करोड़) तथा (iv) (i) Office Expenses (₹ 5 crore), (ii) Other Administrative सामान्य सहायता अनुदान (₹ 127 करोड़). Expenses (₹ 5 crore), (iii) Professional Services (₹ 3 crore) and (iv) Grant-in-aid General (₹ 127 crore). इसमें नकद व्यय होगा। The above expenditure will entail a net cash outgo. (पीएम-एफएमई) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अन्दान (₹ 10 करोड़)। (ख) (b) Grant-in-aid General under the scheme of PM -FME

(₹ 10 crore).

The above expenditure will entail a net cash outgo.

#### मांग संख्या DEMAND NO 42

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

#### DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

				(₹ <b>क</b> राड़	(in ₹ crore	res)
		भारित	स्वीकृत		जॏड़	
		Charged	Voted		Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		104590.24		104590.24	
पूंजी	Capital	***	1733.60		1733.60	
जोड़	Total		106323.84		106323.84	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now					
	required:					
राजस्व	Revenue		10615.98		10615.98	
पूंजी	Capital		1141.01		1141.01	
जोड़	Total		11756.99		11756.99	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		118080.83		118080.83	
राजस्व	Revenue		115206.22		115206.22	
पूंजी	Capital		2874.61		2874.61	
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेगा	1:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for unc					
		भारित	स्वीकृत		ऒड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits		0.01	(कa)	0.01	
2210-चिकित्सा और जन स्वास <sup>्</sup> थ्य	2210-Medical and Public Health		3763.94	(खb)	3763.94	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	***	0.01	(गc)	0.01	
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	•••	5915.49	(घd)	5915.49	
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		936.53	(ਝe)	936.53	
अनुदान						
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		10615.98		10615.98	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	***	1141.00	(चf)	1141.00	
परिव्यय						
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		0.01	(छg)	0.01	
जोड़ (प्ंजी भाग)	Total (Capital Section)		1141.01		1141.01	
जोड़ (प्रक)	Total (Supplementary)		11756.99		11756.99	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(ख)

(क) विकित्सा उपचार – केंद्र सरकार पेंशनभोगी (₹ 745 करोड़) – पैनल में शामिल अस्पतालों में सीजीएचएस पेंशनभोगी के अस्पताल में भर्ती होने पर लंबित देयताओं का निपटान करने के लिए और चिकित्सा भण्डार संगठन की देयताओं की निपटान करने के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अनुदान मांगा जाता है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम हेतु निम्नलिखित संस्थानों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान:-चिकित्सा शिक्षा एवं अन् संधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 85 करोड़), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य स्रक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) (₹ 500 करोड़), जवाहरलाल आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान स्नाकोत्तर संस्थान (जेआईपीएमईआर), पुदुचेरी (₹ 18.47 करोड़), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 100 करोड़), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (जीबीएस) – मुख्यालय - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) -(₹ 60 करोड़), नर्सिंग सेवाओं का विकास – नर्सिंग के विद्यमान स्कूलों का सुदृढ़ीकरण -नर्सिंग के विद्यमान स्कूलों को कॉलेज में उन्नयन हेतु (₹ 10 करोड़) और राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य पेशेवरों हेत् आयोग (₹ 0.01 करोड़) (ii) कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान – निम्नलिखित संस्थानों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए :- जवाहर लाल चिकित्सा शिक्षा एवं अनु संधान स्नातकोत्तर संस्थान पुदुचेरी (₹ 100 करोड़)। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य स्रक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) (₹ 300 करोड़) और राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य पेशेवरों हेत् आयोग (₹ 0.01 करोड़) और आयुर्विज्ञान शिक्षा व

The supplementary Grants are required for:

Medical Treatment - Central Government Pensioners - (₹ 745 crore.) - To clear liabilities on hospitalization of CGHS Pensioners in the empanelled hospitals and to clear liabilities of Medical Stores Organization.

Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a Token Supplementary is sought.

(i) Grants in aid General for meeting additional requirement under the following Institutions for containment of COVID-19 pandemic :- Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 85 crore), Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) (₹ 500 crore), Jawahar Lal Institute of Post-graduate Medical Education and Research (JIPMER, Puduchery) (₹ 18.47 crore), All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. (100 crore), National Health Authority (GBS) - Headquarters - National Digital Health Mission (NDHM) (₹ 60 crore), Development of Nursing Services - Strengthening of existing Schools of Nursing - For upgrading the existing Schools into Colleges of Nursing (₹ 10 crore) and also for National Commission for Allied & Health Care Professionals (₹ 0.01 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets for meeting additional requirement under the following Institutions to meet due to outbreak of pandemic COVID-19:- JIPMER, Puducherry, (₹ 100 crore), PMSSY (₹ 300 crore) and also for

(d)

(g)

अनु संधान, चंडीगढ़ (₹ 300 करोड़), (iii) निम्नलिखित संस्थानों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए :-वेतन सहायता अनुदान राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य पेशेवरों हेत् आयोग (₹ 0.01 करोड़) और आय्र्विज्ञान शिक्षा एवं अन् संधान स्नाकोत्तर संस्थान चंडीगढ़ (₹ 100 करोड़) कोविड-19 वैश्विक महामारी रोकने के लिए निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थानों/संगठनों के संबंध में सामान्य सहायता के अलावा व्यय की अन्य मदों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए : आपातकालीन महामारी तैयारी एवं प्रतिक्रिया (ईएपी) हेत् पूर्ति एवं सामग्री का अधिप्रापण (₹ 3626 करोड़), आपातकालीन महामारी तैयारी एवं प्रतिक्रिया (ईएपी) -संघशासित क्षेत्रों में व्यय (ईएपी) - (₹ 85.94 करोड़), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली (ईएपी) (₹ 52 करोड़), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 98 करोड़), सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 183 करोड़), लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविदयालय एवं श्रीमती एसके अस्पताल, नई दिल्ली -₹ 32.80 करोड़ तथा पेशेवर सेवाओं हेत् राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय (म्ख्यालय) (₹ 2.20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 3763.94 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(i) निम्नलिखित संस्थानों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान:- उत्तर-पूर्व इंदिरा गांधी स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग (₹ 143.69 करोड़) तथा आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, इंफाल (₹ 22.92 करोड़) और (ii) उत्तर-पूर्व इंदिरा गांधी स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 12 करोड)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अनुदानमांगा जाता है।

(घ) (i) कोविड-19 वैश्विक महामारी रोकथाम के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (ईएपी) (₹ 5915.49 करोड़)। इसमें ₹ 5915.49 करोड़ का व्यय होगा।

(ग)

(ङ)

(च)

कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी (e) करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (ईएपी) (₹ 936.53 करोड़)।

ईएपी के अंतर्गत इसमें ₹ 936.53 करोड़ का नकद व्यय होगा।

निम्निलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थानों के तहत अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरक अनुदान अपेक्षित है:- 1. आपातकालीन महामारी तैयारी एवं प्रतिक्रिया हेतु मशीनरी एवं उपकरण का अधिप्रापण (₹ 1098 करोड़) - (ईएपी), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (ईएपी) मशीनरी एवं उपकरण के लिए (₹ 43 करोड़) सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली मशीनरी एवं उपकरण, मोटर वाहन तथा प्रमुख कार्यो हेतु (₹ 478 करोड़), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली- (मशीनरी एवं उपकरण हेतु (₹ 80 करोड़) और मशीनरी एवं उपकरण हेतु लेड़ी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय तथा श्रीमती एस.के. हस्पताल, नई दिल्ली (₹ 30 करोड)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, इसमें ₹ 1141 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(छ) सफदरजंग हस्पताल, नई दिल्ली के लिए मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत आवश्यक अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 41 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। National Commission for Allied & Health Care Professionals (₹ 0.01 crore) and Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 300 Crore) (iii) Grants in aid Salaries for meeting additional requirement under the following Institutions:- National Commission for Allied & Health Care Professionals (₹ 0.01 crore)and Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 100 Crore) (iv) For meeting additional expenditure on items of expenditure other than Grants-in-aid in respect of following schemes / programmes / Institutions / Organizations for containment of COVID 19 pandemic: Procurement of Supplies & Materials for Emergency Epidemic Preparedness and Response (EAP) (₹ 3626 crore). Emergency Epidemic Preparedness and Response - Expenditure in UTs(EAP) (₹ 85.94 crore), National Centre for Disease Control , New Delhi (EAP) (₹ 52 crore), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (₹ 98 crore), Safdarjung Hospital , New Delhi (₹ 183 crore), Lady Hardinge Medical College & Smt. S. K. Hospital , New Delhi (₹ 32.80 crore) and National Vector Borne Disease Control Programme Dte. (Headquarter) for Professional Services(₹ 2.20 crore) .

Taking into account the savings available in the same section of the grant, this will entail a cash outgo of  $\ref{thm:properties}$  3763.94 crore .

(i) Grants in aid General for meeting additional requirement under the Institutions:- North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (₹ 143.69 Crore) and Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 22.92 Crore) and (ii) Grant in Aid Salary under the institution North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (₹ 12 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement for containment of COVID 19 pandemic (EAP)(₹ 5915.49 crore). This will entail a cash outgo of ₹ 5915.49 crore.

For meeting additional requirement under Grants-in-aid General for containment of COVID 19 pandemic (EAP) (₹ 936.53 crore).

This will entail a Cash outgo of ₹ 936.53 crore under EAP . For meeting the additional requirement under the following Schemes/Programmes/Institutions etc.:- 1. Procurement of Machinery & Equipment for containment of COVID 19 pandemic (EAP) (₹ 1098 crore ), National Centre for Disease Control (EAP) for Machinery & Equipment (₹ 43 crore), Safdarjung Hospital, New Delhi for Machinery & Equipment, Motor Vehicle and Major Works (₹ 478 crore), Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi for Machinery & Equipment (₹ 80 crore) and Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi for Machinery & Equipment. (₹ 30 Crore) Taking into account the savings available in the same section of the grant, this will entail a cash outgo of ₹ ₹ 1141 crore. For meeting additional expenditure required under Major Works for Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 41 crore).

### मांग संख्या DEMAND NO 43

# स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

### DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹ करोड़ )		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	2100.00	2100.00	
पूंजी	Capital				
जोड़	Total		2100.00	2100.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		2475.00	2475.00	
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		2475.00	2475.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4575.00	4575.00	
राजस्व	Revenue		4575.00	4575.00	
पूंजी	Capital	•••	•••	•••	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	तर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und		:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		2475.00	2475.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

 (I) ईएसी के अंतर्गत आपातकालीन महामारी तैयारी एवं अनुक्रिया के लिए सामान्य सहायता अुनदान और पूंजीगत आस्तियों के सूजन के लिए अनुदान सिन्निहत ₹ 2475 करोड़ राशि की आईसीएमआर की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

इसमें ₹ 2475 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

(I) For meeting the additional expenditure of Indian Council of Medical Research (ICMR) comprising of Grant in Aid General & Grant for Creation of Capital Assets for Emergency Epidemic Preparedness and Response under EAP (₹ 2475 crore) .

The above expenditure will entail a cash outgo of  $\stackrel{?}{ ext{ iny 2}}$  2475 crore

#### मांग संख्या DEMAND NO 44

## भारी उद्योग विभाग

### DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Total Charged Voted ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व 930.35 Revenue 930 35 पूंजी 559.63 559.63 Capital जोड 1489.98 Total 1489.98 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 42.45 42.45 Revenue पूंजी Capital जोड 42.45 42.45 Total जोड़ (मूल और पुरक) Total (Original plus Supplementary) 1532.43 1532.43 ... राजस्व 972.80 Revenue 972.80 पूंजी 559.63 Capital 559.63 ॥. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2852-उद्योग 2852-Industries 42.45 42.45

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मंत्रिमंडल के दिनांक 10.01.2018 के निर्णय के अनुसार आयकर विभाग (₹ 39.33 करोड़) और अन्य (₹ 3.12 करोड़) की बकाया कर देनदारियों के भुगतान के लिए टीएसपीएल को जारी ऋण (₹ 42.45 करोड़) को सहायता अनुदान में परिवर्तित करने के लिए।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यपर्ण को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

Conversion of loan (₹ 42.45 crore) released to TSPL for payment of outstanding tax liabilities of Income Tax Department (₹ 39.33 crore) and Others (₹ 3.12 crore) into Grants -in-Aid as per Cabinet decision dated 10.01.2018.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

### मांग संख्या DEMAND NO 48

## पुलिस **POLICE**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

जॉड़

0.01

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	6.77	96743.93	96750.70
पूंजी	Capital	4.42	9854.45	9858.87
जोड़	Total	11.19	106598.38	106609.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requir	ed:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11.19	106598.39	106609.58
राजस्व	Revenue	6.77	96743.94	96750.71
प्ंजी	Capital	4.42	9854.45	9858.87
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष वे	ज्ञंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for		ead:	
	•	भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	·		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मुख्य शीर्ष

2055-पुलिस

नेशनल इंटेलीजंस ग्रिड (एनएटीजीआरआईडी) के लिए 'लघु कार्य' लेखा का एक नया शीर्ष खोलना (₹ 2.50 करोड़)।

MAJOR HEAD

2055-Police

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान

The supplementary Grant is required for:

भारित

opening of a new head of account 'Minor Work' for National Intelligence Grid (NATGRID) (₹ 2.50 crore) .

0.01

### मांग संख्या DEMAND NO 51

## दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव DADRA AND NAGAR HAVELL AND DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹ करोड़ ) (In ₹ cror		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	2768.10	2768.10	
पूंजी	Capital		752.42	752.42	
जोड़	Total		3520.52	3520.52	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue				
पूंजी	Capital		0.01	0.01	
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		3520.53	3520.53	
राजस्व	Revenue		2768.10	2768.10	
प्ंजी	Capital	•••	752.43	752.43	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	ति दिखाया जायेगाः			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for unde	r the following Major Head	d:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

डीएनएच विद्युत संवितरण और निगम लिमिटेड को ऋण प्रदान करने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए (₹ 50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में ऱखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting the additional requirement to provide loans to DNH Power Distribution and Corporation Limited. (₹ 50 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### मांग संख्या DEMAND NO 52

## लद्दाख LADAKH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोंड ) (In ₹ crores)

			(र कराड़ ) (In			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मू <i>ल अनुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		2331.72		2331.72	
पूंजी	Capital		3626.28		3626.28	
जोड़	Total	•••	5958.00		5958.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue		0.02		0.02	
पूंजी	Capital				***	
जोड़	Total		0.02		0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5958.02		5958.02	
राजस्व	Revenue		2331.74		2331.74	
पूंजी	Capital	•••	3626.28		3626.28	
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत र्ग	देखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the	e following Major H	Head			
		भारित	स्वीकृत		जॏड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
- 2055-पुलिस	2055-Police		0.01	(कa)	0.01	
2801-विद्युत	2801-Power		0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

 (क) लददाख संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस विभाग के लिए हथियार और गोला बारूद की खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 5 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में ऱखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए विद्युत की खरीद के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 80 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

meeting the additional requirement for purchase of Arms and Ammunition for the Police Department of UT of Ladakh.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting the additional requirement for purchase of Power for UT of Ladakh. (₹ 80 crore)

### मांग संख्या DEMAND NO 53

## लक्षद्वीप **LAKSHADWEEP**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

व्यय होगा।

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

						' 4\(15 )	(In ₹ crores
				भारित	स्वीकृत		जोड़
				Charged	Voted		Total
1. मूल अन्	रुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue			1174.84		1174.84
पूंजी		Capital			201.62		201.62
जोड़		Total			1376.46		1376.46
इस समय ३	भावश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the	amount now	required:			
राजस्व		Revenue			0.01		0.01
<b>र्</b> ची		Capital			0.03		0.03
नोड़		Total			0.04		0.04
नोड़ (मूल 3	भौर परक)	Total (Original plus Supplement	arv)		1376.50		1376.50
ाजस्व		Revenue	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1174.85		1174.85
<b>ूं</b> जी		Capital			201.65		201.65
Kon				···	201.00		201.03
		II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्न	-				
		II. This Supplementary Grants w	viii be accour	_= -			
				भारित	स्वीकृत		जोड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भ	<i>ग</i>	REVENUE SECTION					
नुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
235-साम	ाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfa	re		0.01	( <b>क</b> a)	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
नुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
	प्त पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police			0.01	(खb)	0.01
_	एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village a	and Small Inc	dustries	0.01	(गc)	0.01
	1 वैज्ञानिक और पर्यावरण अनु संधान पर	5425-Capital Outlay on Other S			0.01	(घd)	0.01
रूंजी परिव्य		Environmental Research	0.0		0.0.	(0)	0.0.
र्जाड़ (पूंजी ध		Total (Capital Section)			0.03		0.03
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)			0.04		0.04
onė (1/217)		rotal (cappionionally)		<b></b>	0.04		0.04
यह पूरक अ	नुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supple	ementary Grants are required for	or:		
क)		तेरिक्त मानेदय के भुगतान, आंगनवाड़ी	(a)	meeting the expenditure		yment	of additional
. ,		रुने हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.88	. ,	honorarium to Anganwadi	-	-	
	करोड)।			buildings etc. (₹ 0.88 crore		,	
	**	नों को ध्यान में ऱखते हु ए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the say		in the sa	me section of
	अनुदान मांगा जाता है।			the Grant, a token supplem	-		
ख)	3	गमन निवास/आवासीय भवनों आदि के	(b)	meeting the expenditure t			-construction
(G)		हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.35	(5)	special repairs to Poli			
	करोड़)।	हतु उपय नूरा यारण या स्थर (र ७.७७		Accommodation/Residentia			•
	• •	नों को ध्यान में ऱखते हु ए, सांकेतिक पूरक		Taking into account the say	•	•	•
	अनुदान मांगा जाता है।	ा का ट्यान में रखत हु ए साकातक पूरक		•	•		ine section of
	3		( )	the Grant, a token supplem			
ग)		न्टरी भवन आदि के निर्माण/ पुनर्निर्माण/	(c)	meeting the expenditure t			
	विशेष मरम्मत हेतु व्यय पूरा करने के	लिए (र 0.50 कराइ)।		special repairs to Fiber		craft/ Ho	siery Factory
	- \ 0 *	* \ - * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		buildings etc. (₹ 0.50 crore			
		ों को ध्यान में ऱखते हु ए, सांकेतिक प् <b>र</b> क		Taking into account the say	rings available	in the sa	me section of
	अनुदान मांगा जाता है।			the Grant, a token supplem	entary is soug	ht.	
घ)		गृह और बोट शेड भवनों आदि के निर्माण	(d)	meeting the expenditure t	owards Const	ruction o	of Paryavarar
	हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.60 व	न्रोड़)।		Bhawan, Central Garbage	Depository an	d Boat S	hed Buildings
				etc. (₹ 0.60 crore)			
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बच	ातों को ध्यान में ऱखते हुए, इसमें नकद		Taking into account the	savings availa	able with	nin the same
		•					

section of the Grant this will entail a cash outgo.

#### मांग संख्या DEMAND NO 57

## आवास और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

				(₹ करोड़	) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	103.81	36533.39		36637.20
पूंजी	Capital	44.82	21104.20		21149.02
जोड़	Total	148.63	57637.59		57786.22
इस समय आवश्यक रकम का प्रक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
पूंजी	Capital	***	0.02		0.02
जोड़	Total	•••	0.03		0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	148.63	57637.62		57786.25
राजस्व	Revenue	103.81	36533.40		36637.21
पूंजी	Capital	44.82	21104.22		21149.04
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	तर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un		Head		
		भारित	स्वीकृत		जॏड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		0.01	( <b>क</b> a)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(खb)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	•••	0.02	` '	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.03		0.03
• • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

सड़क विक्रेता वालों के लिए विशेष सूक्ष्म ऋण स्विधा के लिए आत्मनिर्भर स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम-एसबीए निधि) - सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़), अंशदान (₹ 93 करोड़), सब्सिडी (₹ 55 करोड़) ब्याज (₹ 90 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 34.50 करोड), विज्ञापन और प्रचार (₹ 2 करोड), डीटीई (₹ 0.26 करोड), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 10 करोड़) और अन्य प्रभार (₹ 1 करोड़) के लिए।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- म्ख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय संसद के निर्माण कार्य, (ख) सीबीईसी/सीबीडीटी, मिण्टो रोड, नई दिल्ली स्थित लेखा सामग्री एवं मुद्रण भवन की जारी परियोजनाओं के लिए (₹ 500 करोड़)।
  - अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अन्दान मांगा जाता है।
- (ग) मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत कोडईकनाल में हॉलीडे होम के निर्माण (₹ 400 करोड) तथा बीडी मार्ग स्थित लोक सभा की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं, लेखापरीक्षा और सीबीईसी/सीबीडीटी हेत् भूमि की खरीद के लिए (₹ 70 करोड़) तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली की आवासीय घरों के निर्माण हेत् (₹ 5 करोड़)।

अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) under Atma Nirbhar Scheme for Special Micro Credit Facility for Street Vendors - GIA General (₹ 2.00 Crore), Contribution (₹ 93.00 Crore), Subsidy (₹ 55.00 Crore), Interest (₹ 90.00 Crore), OAE (₹ 34.50 Crore), Advertising & Publicity (₹ 2.00 Crore), DTE (₹ 0.26 Crore), Professional Services (₹ 10.00 Crore) and Other Charges(₹ 1.00 Crore)
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- ongoing project of Supreme Court, Parliament Works, CBEC/ (b) CBDT, Stationery and Printing Building at Minto Road, New Delhi under Major Works (₹ 500 crore).
  - Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - Purchase of land for Construction of Holiday Home at Kodaikanal (₹ 400 crore), various Housing projects of Lok Sabha at BD Marg, Audit and CBEC/ CBDT under Major Works (₹ 70.00 crore) and construction of Residential Accommodation for Rajya Sabha Secretariat, New Delhi (₹ 5

### मांग संख्या DEMAND NO 59

### उच्चतर शिक्षा विभाग

#### DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

			(1.7		
		भारित	स्वीकृत		जॏड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		52078.45		52078.45
पूंजी	Capital		2227.00		2227.00
जोड़	Total	•••	54305.45		54305.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requir	red:			
राजस्व	Revenue		812.51		812.51
पूंजी	Capital	***			
जोड़	Total	•••	812.51		812.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	55117.96		55117.96
राजस्व	Revenue		52890.96		52890.96
पूंजी	Capital		2227.00		2227.00
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो व	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for		Head		
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		700.00	(कa)	700.00
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education		112.50	(खb)	112.50
2552-पूर्वीत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		812.51	-	812.51
• •	•				

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) चैम्पियन सेवा सेक्टर - शिक्षा सेवाएं - उच्चतर शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण [ ₹ 62.41 करोड़], (2) विश्व स्तरीय संस्थान [ ₹ 81.98 करोड़], (3) भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान [ ₹ 20.25 करोड़], (4) केंद्रीय विश्वविद्यालय [ ₹ 250 करोड़], (5) आभासी कक्षाओं और विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) की स्थापना [ ₹ 100 करोड़], (6) प्रधानमंत्री ई-विद्या [ ₹ 45 करोड़], (7) सामाजिक विज्ञान में प्रभावकारी नीति अनुसंधान (इम्प्रेस) [ ₹ 25 करोड़], और (8) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरय्एसए) [ ₹ 26.50 करोड़] और (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालय स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 600 करोड़) तथा (iii) राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय और द्रस्थ शिक्षा में महाविद्यालय नेटवर्क:- शिक्षा के राष्ट्रमंडल में भारत का योगदान (₹ 4 करोड़) (iv) वैश्विक प्रतिभागिता हेतु पहल स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 1.69 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग तथा अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए. ₹ 700 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख)

(i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (एनआईटीटीटीआर) [₹ 18 करोड़],

(2) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों को सहायता
(आईआईएसईआर) [₹ 65.40 करोड़], और (3) भारतीय विज्ञान संस्थान
(आईआईएससी) को सहायता - [₹ 13 करोड़), (ii) निम्नलिखित स्कीमों के
अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं
अनुसंधान (एनआईटीटीटीआर) [₹ 27 करोड़], (2) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी
संस्थान (आईआईटी) [₹ 75.70 करोड़], (3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
(आईआईटी) [₹ 75.70 करोड़], (4) भारतीय शिक्षा एवं अनुसंधान
(आईआईएसईआर) को सहायता [₹ 15.20 करोड़], और (5) भारतीय विज्ञान
संस्थान को सहायता [₹ 11 करोड़] तथा (iii) भारत सरकार की तकनीकी
शिक्षा गुणवता सुधार परियोजना स्कीम के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' (ईएपी)
[₹ 20 करोड़]।

The supplementary Grants are required for:

(i) Grants-in-aid General under the following schemes (1) Champion Services Sector- Education Internationalization of Higher Education [ ₹ 62.41 Crore], (2) World Class Institutions[ ₹ 81.98 Crore], (3) Grants for promotion of Indian languages [ ₹ 20.25 Crore], (4) Central Universities [₹ 250 Crore], (5) Setting up virtual classrooms and massive open online courses (MOOCs) [ ₹ 100 Crore], (6)PM e-Vidya [₹ 45 Crore], (7) Impactful Policy Research in Social Science (IMPRESS) [ ₹ 25 Crore], and (8) Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA) [ ₹ 26.50 Crore] (ii) Grant in aid Salaries under the scheme Central Universities (₹ 600 crore) and (iii) Contribution under the scheme setting up of Commonwealth University & College-network in Distance Education:- India's Contribution to the Commonwealth of Learning (₹ 4 crore) (iv) Other Administrative Expenses under the scheme Initiatives for global engagement (₹ 1.69 crore).

Taking into account the savings within the same section as well in the Capital Section of the Grant, a technical supplementary of ₹ 700 crore is sought.

(i) Grants-in-aid General under the following schemes (1) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [ ₹ 18 Crore], (2) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [ ₹ 65.40 Crore], and (3) Support to Indian Institute of Science (IISC) - [ ₹ 13 Crore], (ii) Grants-in-aid Salaries under the following schemes (1) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs) [ ₹ 27 Crore], (2) Indian Institutes of Information Technology (IIITs) [ ₹ 15.05 Crore], (3) Indian Institutes of Technology (IITs) [ ₹ 75.70 Crore], (4) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [ ₹ 15.20 Crore], and (5) Support to Indian Institute of Science (IISC) - [ ₹ 11 Crore] and (iii) Professional Services' under the scheme Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) [ ₹ 20 Crore]

अनुदान के इसी भाग तथा अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए. ₹ 112.50 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) (i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) केंद्रीय विश्वविद्यालय [₹ 50 करोड़], राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) [ ₹ 29.35 करोड़] तथा (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान [₹ 60 करोड़]।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। Taking into account the savings in the same section as well as in the Capital Section of the Grant, a technical supplementary of ₹ 112.50 crore is sought.

(i) Grants-in-aid General under the following schemes (1) Central Universities [ ₹ 50 Crore], Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA) [ ₹ 29.35 Crore] and (ii) Grants-in-aid Salaries under the scheme Central Universities [ ₹ 60 Crore]

### मांग संख्या DEMAND NO 61

### जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

### DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75-76 देखिये)

(See page 75-76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹ करोंड़	₹) (In ₹ crore	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
 जस्व	Revenue		8641.49	8641.49	
<del>ुं</del> जी	Capital	0.01	409.01	409.02	
ोड़	Total	0.01	9050.50	9050.51	
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
जस् <b>व</b>	Revenue	***	0.01	0.01	
ज़ी	Capital	•••			
ोड़	Total	***	0.01	0.01	
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	9050.51	9050.52	
जस्व	Revenue		8641.50	8641.50	
जी	Capital	0.01	409.01	409.02	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
जस्व भाग	REVENUE SECTION				
<b>ख्य</b> शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-अन्य नदीमुख (₹ 20 करोड़) और मरम्मत, नवीकरण व पुनर्स्थापन (आरआरआर)/सतह व लघु सिंचाई (एसएमआई) (₹ 100 करोड़) के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

Grants for creation of Capital Assets to Union Territory of Jammu & Kashmir under National River Conservation Plan - Other Basin (₹ 20 crore) and under Repair, Renovation and Restoration (RRR)/ Surface and Minor Irrigation (SMI) (₹ 100 crore).

#### मांग संख्या DEMAND NO 63

### श्रम और रोजगार मंत्रालय

### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Total Charged Voted ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व 12021.49 Revenue 12021 49 पूंजी Capital जोड Total 12065.49 12065.49 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 4860.00 4860.00 Revenue पूंजी Capital जोड 4860.00 4860.00 Total जोड़ (मूल और पुरक) Total (Original plus Supplementary) 16925.49 16925.49 ... 16881.49 राजस्व 16881.49 Revenue पूंजी Capital 44.00 44.00 II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास 2230-Labour, Employment and Skill Development 4374.00 4374.00 (कa) 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 486.00 (खb) 486.00 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 4860.00 4860.00

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना" (पीएमजीकेवाई) स्कीम के अंतर्गत सामान्य (क) सहायता अन्दान (₹ 4374 करोड़) हेत् व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा। "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना" (पीएमजीकेवाई) स्कीम के अंतर्गत सामान्य (ख) सहायता अनुदान (₹ 486 करोड़) हेत् व्यय पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

Meeting expenditure towards Grants-in-Aid General (₹ 4374.00 crore) under the scheme 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana

The above expenditure will entail a cash outgo;

Meeting expenditure towards Grants-in-Aid General (₹ 486.00 crore) under the scheme 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY)'.

The above expenditure will entail a cash outgo;

### मांग संख्या DEMAND NO 65

## निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹ करोड़	r) (In ₹ croi
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
ज <del>र</del> व	Revenue		269.00	269.00
<u>(</u> ंजी	Capital		1.00	1.00
गोड़	Total		270.00	270.00
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
ज <del>स्</del> व	Revenue	***	0.01	0.01
<del>ुं</del> जी	Capital	***	***	
गोड़	Total		0.01	0.01
गोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		270.01	270.01
ज <b>स्</b> व	Revenue		269.01	269.01
<del>ं</del> जी	Capital		1.00	1.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के .	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		l:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION	-		
<b>ग्</b> ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3 2015-चनाव	2015-Elections		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मार्च, 2020 के दौरान स्थापित किए गए परिसीमन आयोग जिसे जम्मू-कश्मीर और असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के राज्यों में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए गठन किया गया है, के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.17 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure of Delimitation Commission set up during the month of March, 2020 to delimit the Assembly and Parliamentary Constituencies in the UT of J&K and the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland (₹ 0.17 crore).

#### मांग संख्या DEMAND NO 67

## सूक्ष्म , लघु और मध्यम उदयम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021) (₹ करोड़ ) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॉड़ Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 7513.20 7513.20 पूंजी Capital 59.00 59 00 जोड़ 7572.20 7572.20 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अन्मान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 0.02 0.02 पूंजी Capital 500.00 500.00 जोड 500.02 500.02 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 8072.22 8072.22 ... राजस्व Revenue 7513.22 7513.22 पूंजी Capital 559.00 559.00 II. इस पुरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head स्वीकृत भारित जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (कa) 0.01 2851-ग्राम एवं लघु उद्योग 0.01 2851-Village and Small Industries 0.01 (खb) जोड़ (राजस्व भाग) 0.02 Total (Revenue Section) 0.02 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय 4851-Capital Outlay on Village and Small Industries 500.00 (गc) 500.00 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 500.02 500.02 यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: निम्नलिखित हेत् व्यय पूरा करने के लिए (i) 'विपत्तिकालीन आस्तियां निधियां' Meeting expenditure towards: (i) Contribution (₹ 10.00 crore) (क) (a) स्कीम के अंतर्गत अंशदान (10 करोड़) और (ii) ब्याज आर्थिक सहायता योजना under the scheme 'Distressed Assets Funds' and (ii) Subsidies 'स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (15 करोड) (₹ 15.00 crore) under the scheme 'Interest Subvention Scheme' अन्दान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of अन्दान मांगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought. (ख) निम्नलिखित हेत् व्यय पूरा करने के लिए : (i) 'विपत्तिकालीन आस्तियां Meeting expenditure towards: (i) Contribution (₹ 90.00 crore) निधियां' स्कीम के अंतर्गत अंशदान (90 करोड़) और (ii) 'ब्याज आर्थिक under the scheme 'Distressed Assets Funds' and (ii) Subsidies सहायता योजना' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (135 करोड़) (₹ 135.00 crore) under the scheme 'Interest Subvention Scheme अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक Taking into account the savings available in the same section of अनुदान मांगा जाता है। the Grant, a token supplementary is sought. 'निधियों की निधि' स्कीम के अंतर्गत 'निवेश' हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (ग) (c) Meeting expenditure towards 'Investment' under the scheme 'Fund of Funds' (₹ 500 crore). अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक Taking into account the surrender of savings available in the अन्दान मांगा जाता है। Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not

entail any additional cash outgo;

#### मांग संख्या DEMAND NO 70

## नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोंड ) (In ₹ crores)

			(5 475)	ș / (III CIUI ES)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		5701.00	5701.00
पूंजी	Capital		52.00	52.00
जोड़	Total		5753.00	5753.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
प्ंजी	Capital			
जोड़	Total	···	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5753.01	5753.01
राजस्व	Revenue		5701.01	5701.01
प्ंजी	Capital		52.00	52.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के .	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u		d:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy		0.01	0.01

#### यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) 'राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान' के अंतर्गत (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 11.62 करोड़) और (ख) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.39 करोड़);
- (ii) 'राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान' के अंतर्गत (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.20 करोड़) और (ख) वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.80 करोड़); और
- (iii) 'राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान' के अंतर्गत (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.50 करोड़), (ख) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.50 करोड़) और (ग) वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में ऱखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

- providing (a) Grants-in-aid General (₹ 11.62 crore) and (b) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.39 crore) under 'National Institute of Wind Energy';
- (ii) providing (a) Grants-in-aid General (₹ 1.20 crore) and (b) Grant-in-aid Salaries (₹ 0.80 crore) under National Institute of Bio Energy; and
- (iii) providing (a) Grants-in-aid General (₹ 4.50 crore), (b) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2.50 crore) and (c) Grant-in-aid Salaries (₹ 2.00 crore) under 'National Institute of Solar Energy'.

### मांग संख्या DEMAND NO 71

## पंचायती राज मंत्रालय

### MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹ करोड़ ) (In ₹ d		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	900.94	900.94	
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		900.94	900.94	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
प्ंजी	Capital				
जोड़	Total		0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		900.95	900.95	
राजस्व	Revenue		900.95	900.95	
प्ंजी	Capital	···			
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दि	देखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	e following Major Head	:		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'स्वामित्व' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 77.39 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹ 2.26 करोड़) हेतु नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में ऱखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

providing Grants-in-aid General (₹ 77.39 crore) and Office Expenses (₹ 2.26 crore) under the scheme SVAMITVA. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 73

## कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(	′₹ करॉड़ )	(In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
गजस्व	Revenue	73.32	1532.96		1606.28
<del>ग</del> ूंजी	Capital	3.65	144.61		148.26
जोड़	Total	76.97	1677.57		1754.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:			
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
<del>ग</del> ूंजी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total	•••	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	76.97	1677.59		1754.56
राजस्व	Revenue	<i>73.32</i>	1532.97		1606.29
<del>र्</del> गुजी	Capital	3.65	144.62		148.27
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the following Major	Head		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2 070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
उ 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		0.01	(खb)	0.01
~				. ,	

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) "राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम" की स्थापना तथा अपने निम्नलिखित चार घटकों के संचालन के लिए : (i) एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2.0 (आईजीओटी), (ii) क्षमता निर्माण आयोग (iii) विशेष प्रयोजन व्यवस्था और (iv) 'राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम' के लिए विश्व बैंक सहायता (₹ 100.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) अपने निम्नलिखित तीन घटकों के लिए "राष्टीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम" :- (i) एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2.0 (आईजीओटी 2.0) - कार्यालय भवन, (ii) क्षमता निर्माण आयोग-कार्यालय भवन (iii) विशेष प्रयोजन व्यवस्था (₹ 100. करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

setting up "National Programme for Civil Services and Capacity Building" and running of its following four components: (i) Integrated Government Online Training Programme 2.0 (iGOT 2.0), (ii) Capacity Building Commission (iii) Special Purpose Vehicle and (iv) World Bank Assistance for 'National Programme for Civil Services and Capacity Building' (External Aided Project) (₹ 100.00 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

"National Programme for Civil Services and Capacity Building" scheme for its following three components:- (i) Integrated Government Online Training Programme 2.0 (iGOT 2.0) - Office Building, (ii) Capacity Building Commission- Office Building and (iii) Special Purpose Vehicle (₹ 100 crore).

#### मांग संख्या DEMAND NO 75

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जोड़ Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 42722 00 42722 00 पूंजी Capital 907.00 907.00 जोड Total 43629.00 43629.00 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.01 0.01 Revenue पूंजी Capital 3184.00 3184.00 जोड Total 3184.01 3184.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 46813.01 46813.01 ... राजस्व Revenue 42722.01 42722.01 पूंजी Capital 4091.00 4091.00 II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2802-पेट्रोलियम 2802-Petroleum (कa) 0.01 0.01 पूंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4802-पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय 4802-Capital Outlay on Petroleum 3184.00 3184.00 3184.01 जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 3184.01

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अनुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए स्कीम के लाभार्थियों को अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए (₹ 13000 करोड़); और
  - (ii) 'इंद्रघनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल)- उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड की स्थापना' की नई स्कीम के लिए पूंजीगत आस्तियों के स्जन के लिए अनुदान (₹ 278 करोड़); अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) कच्चे तेल के प्रारक्षित भंडार के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड को अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 3184 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (i) providing additional fund to the beneficiaries of scheme for LPG connection to poor households under Pradhan Mantri Ujwala Yojna as per Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (₹ 13000 crore): and
  - (ii) providing Grants for Creation of Capital Assets for new scheme 'Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL) – setting up of North East Natural Gas Pipeline Grid (₹ 278 crore); Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- providing additional fund to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited for crude oil reserves (₹ 3184 crore)
  The above expenditure will entail a cash outgo.

### मांग संख्या DEMAND NO 76

### योजना मंत्रालय

## MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores)

			(( 4/(13 ) (111 ( 610163)		
		भारित	स्वीकृत		जॏड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		649.22		649.22
पूंजी	Capital		0.78		0.78
जोड़	Total		650.00		650.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	***	0.02		0.02
पूंजी	Capital	***			
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		650.02		650.02
राजस्व	Revenue		649.24		649.24
पूंजी	Capital	•••	0.78		0.78
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for und	der the following Major H	ead		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(कa)	0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) नवीकरण एवं संशोधन (₹ 9 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य व्यय) (₹ 3 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत लघु निर्माण कार्यों और कार्यालय व्यय हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) व्यावसायिक सेवाओं में विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 14.38 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

meeting an additional expenditure towards Minor Works & Office Expenses under the schemes Renovation and alteration (₹ 9 crore) and Information Technology (OE) (₹ 3 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting an additional expenditure towards Professional Services for Development Monitoring and Evaluation Office (₹ 14.38 crore).

#### मांग संख्या DEMAND NO 83

#### रेल मंत्रालय

#### MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 98-99 देखिये)

(See page 98-99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021) (₹ करोड़ ) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Total Charged Voted ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व 283978.64 Revenue 497 00 283481 64 पूंजी 237526.79 237629.42 Capital 102.63 जोड 521608.06 Total 599.63 521008.43 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 520.00 520.00 Revenue पूंजी Capital 100.00 100.00 जोड 620.00 620.00 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 599.63 521628.43 522228.06 राजस्व 284498.64 Revenue 497.00 284001.64 पूंजी Capital 102.63 237626.79 237729.42 ॥. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head जॊड़ स्वीकृत Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3075-अन्य परिवहन सेवाएं 3075-Other Transport Services (कa) 520.00 520.00 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** म्ख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी 5002-Capital Outlay on Indian Railways -(खb) 100.00 100.00 परिव्यय Commercial Lines जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 620.00 620.00 यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: The supplementary Grants are required for: 'कोविड-19 आकस्मिक अन् क्रिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज' के भाग meeting expenditure of ₹ 620 crore for purchase of medical के रूप में चिकित्सीय उपकरणों, दवाइयों, पीपीई की खरीद, रेलवे परिसरों और equipments, medicines, PPEs, creation of isolation wards, ट्रेनों में अतिरिक्त स्वच्छता कार्यकलापों के लिए ₹ 620 करोड़ का व्यय पूरा conversion of coaches into isolation wards, cost of paramedics. करने के लिए। additional cleanliness/activities in Railway premises and trains as part of 'COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package', etc. अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 100 करोड़ की बचतों को देखते हुए, इसमें Taking into account savings of ₹ 100 crore available in same

₹ 520 करोड़ का नकद पूरक अनुदान मांगा जाता है। (ख)

'कोविड-19 आकस्मिक अनु क्रिया तथा स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज' के भाग के रूप में पृथक्करण वार्डों के सूजन, कोचों को परिवर्तित करने, अतिरिक्त चिकित्सीय उपकरणों हेत् ₹ 100 करोड़ का व्यय पूरा करने के लिए।

इसमें नकद व्यय होगा।

section of the Grant, cash supplementary for ₹ 520 crore is sought

meeting expenditure of ₹ 100 crore towards creation of isolation wards, purchase of medical equipments as part of 'COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package', etc.

This will entail cash outgo.

#### मांग संख्या DEMAND NO 84

## सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100-101 देखिये)

(See page 100-101 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

				(₹ करें	ोड़ ) (In ₹ cr
		भारित	स्वीकृत		जॏड़
		Charged	Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
जस्व	Revenue		19686.29		19686.29
जी	Capital	10.00	160471.61		160481.61
इ	Total	10.00	180157.90		180167.90
र समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:				
क अनुमान:					
ज <b>स्</b> व	Revenue	***	0.01		0.01
नी	Capital		156.92		156.92
इ	Total	•••	156.93		156.9
इ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	180314.83		180324.8
ज <b>स्</b> व	Revenue	•••	19686.30		19686.3
गी	Capital	10.00	160628.53		160638.5
		भारत Charged	स्वाकृत Voted		जाड़ Total
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Cnargea	voted		ıotaı
<i>जस्व भाग</i> ड्य शीर्ष	REVENUE SECTION				
	MAJOR HEAD		0.04	( <del>-</del> -)	0.0
54-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges		0.01	(कa)	0.0
जी भाग	CAPITAL SECTION				
ड्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
154-सड़क और पुलों पर पूंजी रेट्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	•••	156.92	(खb)	156.9
इ (प्रक)	Total (Supplementary)		156.93		156.9
		में नीचे दर्शार्ड गयी वस्त्रियों को	शामिल नहीं किया गय	ा है जिन्हें ट्य	य में से घटाकर
	समायोजित किया जाता है!			. ( 1511 ( 514	
	Note: The above estimates of additional requirements	do not take into account th	e recoveries shown	helow whi	ch are
	adjusted in reduction of expenditure.	asst take into account th	5 . 550 TOTIOS GRIOWII	. 201011, 11111	o a.o
जी भाग	CAPITAL SECTION				
जी भाग जी भाग					
	CAPITAL SECTION		( )70 :0		( ) 70 1
)54-सड़क और पुलों पर प्ंजी रेव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	***	(-)78.46		(-)78.4

यह पूर	क अन्द	ाने  निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:	The	supplen	nentary Grants are requir
(क)	3	इंटरनेशनल कोऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ रोड काँग्रेस, पेरिस के संबंध में	(a)		additional expenditure
		शुल्क भुगतान हेतु 'अंशदान' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए			in respect of Interna
		(₹ 0.08 करोड़)।			Congress, Paris (₹ 0.
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में ऱखते हु ए, सांकेतिक पूरक			Taking into account t
		अनुदान मांगा जाता है।			of the Grant, a token
(ख)	(i)	सड़क स्कंध के अंतर्गत हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कारिडोर परियोजा की विश्व बैंक	(b)	(i)	expenditure under N
		विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत व्यय			Aided Project of Gre
		पूरा करने के लिए (₹ 300 करोड़)।			under Road Wing (₹ 3
	(ii)	हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कारिडोर परियोजा के काउंटरपार्ट वितपोषण हेतु 'मुख्य		(ii)	expenditure under 'N
		निर्माण कार्यों' के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए (₹ 200 करोड़)।			Green National Highw
	(iii)	लद्दाख में सड़कों के लिए 'मुख्य निर्माण कार्यों' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय		(iii)	additional expenditure
		पूरा करने के लिए (₹ 91.57 करोड़)।			(₹ 91.57 crore).

निधियों का अंतर-लेखा अंतरण (₹ 78.46 करोड़)।

इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

अन्दान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए

और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के पश्चात,

(iv)

ired for:

- re under 'Contribution' for payment of fee ational Cooperation Association of Road 0.08 crore).
  - the savings available in the same section supplementary is sought.
- Major Works for World Bank Externally reen National Highways Corridor Project 300 crore).
  - 'Major Works' for Counterpart Funding of ways Corridor Project (₹ 200 crore).
  - re under 'Major Works' for roads in Ladakh (₹ 91.57 crore).
  - Inter-account Transfer of Funds (₹ 78.46 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

## मांग संख्या DEMAND NO 85

## ग्रामीण विकास विभाग

## **DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102 देखिये)

(See page 102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		ide for Grante of Goria an Government		,	,		(₹ कः	रॉड़ ) (In ₹ crores,
					भारित	स्वीकृत		जॊड़
					Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदा	न:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व		Revenue				198026.19		198026.19
पूंजी		Capital			•••	100.00		100.00
जोड़		Total			•••	198126.19		198126.19
इस समय आव	श्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now						
अनु मान:		required:						
राजस्व		Revenue				113771.50		113771.50
पूंजी		Capital						
जोड़		Total				113771.50		113771.50
जोड़ (मूल और	प्रक)	Total (Original plus Supplementary)				311897.69		311897.69
राजस्व		Revenue				311797.69		311797.69
पूंजी		Capital				100.00		100.00
•		॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के	अंतर्गत दि	देखाया जायेगाः			
		II. This Supplementary Grants will be accoun				Head		
		The supplementary status will be assessed			भारित	स्वीकृत		जৌड
					Charged	Voted		Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			Onargou	70.00		10141
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
_						22774 40	( <del>T</del> a)	22774 40
2235-सामाजि कल्याण	3	2235-Social Security and Welfare				33771.48	(कa)	33771.48
कार्यक्रम	विकास के लिए विशेष	2501-Special Programmes for Rural Develop	ment			0.01	(खb)	0.01
2505-ग्रामीण		2505-Rural Employment				72000.00	(गc)	72000.00
3601-राज्य स अनुदान	रकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments				8000.00	(ঘd)	8000.00
3602-संघ राज् सहायता अनुदा	य क्षेत्र की सरकारों को ान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Govern	ments		•••	0.01	(₹e)	0.01
जोड़ (राजस्व भ		Total (Revenue Section)				113771.50		113771.50
			अनुमाने	ों में नीचे व	दर्शाई गयी वस्लियों	को शामिल नहीं किया	गया है जिन्हें	<sup>हें</sup> व्यय में से
		Note: The above estimates of additional requ	irement	ts do not	t take into accour	t the recoveries she	own below,	which are
		adjusted in reduction of expenditure.						
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
2505-ग्रामीण		2505-Rural Employment				(-)32000.00		(-)32000.00
3601-राज्य स	रकारों को सहायता	3601-Grants-in-aid to State Governments				(-)8000.00		(-)8000.00
अनुदान								
जोड़ (राजस्व भ	गग)	Total (Revenue Section)				(-)40000.00		(-)40000.00
	प्राने निम्नलिखित हेतु अपे		The	supplem	nentary Grants ar	•		
(क)		सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) रोजना महिला खाताधारकों को 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण'	(a)		-	its-in-aid General f antri Jan Dhan Yojr		
	(₹ 30956.98 करोड़)	और(ii) 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' स्कीम के ष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (₹ 2814.50 करोड़)।			(₹ 30956.98 d	rore) and (ii) Indii 14.50 crore) under	ra Gandhi	National Old Age ne 'National Social
	इसमें नकद ट्यय होगा	1				enditure will entail a	a cash outg	<b>J</b> O;
(ख)	'राष्टीय ग्रामीण आजी	विका मिशन' स्कीम के अंतर्गत (i) दीनदयाल उपाध्याय-	(b)		•		_	Jnion Territory of
()	ग्रामीण कौशल योजन क्षेत्र (₹ 2.98 करोड़)3 अंतर्गत लद्दाख संघ	ा के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमृह संघ  राज्य गौर  (ii) 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' स्कीम के राज्य क्षेत्र में प्रशासनिक व्यय (₹ 0.55 करोड़) के लिए	(-)		Andaman & Ni Kaushal Yoja expenditure in	cobar Islands for D na (₹ 2.98 cro Union Territory of	een Dayal re) and Ladakh (₹	Upadhyay- Gramin (ii) administrative 0.55 crore) under
	अनुदान के इसी भाग	दान प्रदान करने के लिए । में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक			Taking into ac	ational Rural Livelih	available in	the same section
(ग) (i)	अनुदानमांगा जाता है 'महात्मा गांधी राष्टीर	। 1 ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजीगत	(c)	(i)		token supplementa nts for Creation	-	
( ') ( ')		त्रिए अनुदान प्रदान करने के लिए ' (₹ 32000 करोड़ );	(0)	(1)	'Mahatma Ga	ndhi National Ru 000 crore); and	-	

(d)

(ii) राष्टीय रोज़गार गारंटी निधि को निधियों का अंतरण (₹ 40000 करोड़)।

चूंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत व्यय 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी निधि' में से पूरा किया जाएगा, इसलिए इसमें ₹ 40000 करोड़ का व्यय होगा।

- (घ) (i) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 8000 करोड़); और
  - (ii) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत 'उन्नित परियोजना हेतु क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता' के लिए आंबंटन हेत् नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए (₹ 183.71 करोड़)।

चूं कि 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम' के अंतर्गत व्यय 'राष्टीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी निधि' में से पूरा किया जाएगा, इसलिए अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 183.71 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के पश्चात. इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ङ) 'प्रधानमत्री आवास योजना' स्कीम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को पूंजीगत आस्तियों के सुजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 427.71 करोड़) ।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। (ii) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹ 40000 crore).

As the expenditure under the scheme 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program' will be met from 'National Rural Employment Guarantee Fund' the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 40000 crore.

- (i) proving funds for Grants for Creation of Capital Assets (₹ 8000 crore); and
- (ii) opening new head of accounts for providing allocation for 'Capacity Building and Technical Support for project UNNATI'
   (₹ 183.71 crore) under the scheme 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme'

As the expenditure under the scheme 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme' will be met from 'National Employment Guarantee Fund', and after utilising the savings of ₹ 183.71 crore available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outdo.

providing Grants for creation of Capital Assets to Union Territory of Jammu and Kashmir under the scheme 'Pradhan Mantri Awaas Yojana (₹ 427.71 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 86

## भूमि संसाधन विभाग DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 देखिये)

(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹ करोड़	₹) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2251.24	2251.24
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		2251.24	2251.24
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)		2251.25	2251.25
राजस्व	Revenue		2251.25	2251.25
पूंजी	Capital			•••
	II. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत	दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	ne following Major	Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		0.01	0.01

#### यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के नवसृजित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के 'एकीकृत जल-संभर विकास कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित आबंटन प्रदान करना।

- (i) केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 44.03 करोड़) और (ख) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.01 करोड़);
- (ii) अनुस्चित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9.95 करोड़) और (ख) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.01 करोड़); और
- (iii) जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.99 करोड़), (ख) पूजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।
  - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में ऱखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- providing following allocations under the scheme 'Integrated Watershed Development Program'of 'Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna' for the newly created Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh:
- (i) (a) Grants-in-aid General (₹ 44.03 crore) and (b) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under Central Assistance Plan;
- (ii) (a) Grants-in-aid General (₹ 9.95 crore) and (b) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes; and
- (a) Grants-in-aid General (₹ 5.99 crore) and (b) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under Tribal Area Sub Plan.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 87

# विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

#### DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104 देखिये)

(See page 104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Total Charged Voted ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 0.02 6212 61 6212 63 पूंजी 101.00 Capital 101.00 जोड Total 0.02 6313.61 6313.63 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व 0.01 0.01 Revenue पूंजी Capital ... जोड 0.01 0.01 Total 6313.62 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 0.02 6313.64 राजस्व Revenue 0.02 6212.62 6212.64 पूंजी Capital 101.00 101.00 ॥. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3425-अन्य वैज्ञानिक अनु संधान 3425-Other Scientific Research 0.01 0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) श्रीचित्र तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान ( $\overline{\mathfrak{e}}$  86 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान ( $\overline{\mathfrak{e}}$  50 करोड़) तथा (ii) स्वायत संस्थानों और व्यावसायिक निकायों के लिए सामान्य सहायता अनुदान ( $\overline{\mathfrak{e}}$  60 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) 'Grants- in- aid General' (₹ 86 crore) and Grants- in- aid salary' (₹ 50 crore) for Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology and (ii)'Grants- in- aid General' towards Autonomous Institutions and Professional Bodies (₹ 60 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 88

## जैव प्रौद्योगिकी विभाग

## DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 देखिये)

(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹ करों.	ड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2786.76	2786.76
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	2786.76	2786.76
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		350.00	350.00
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		350.00	350.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3136.76	3136.76
राजस्व	Revenue		3136.76	3136.76
प्ंजी	Capital	•••	•••	•••
	॥. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	ार्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for und	ler the following Major Head	:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research		350.00	350.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) "स्वायत्त संस्थानों को सहायता के अंतर्गत कोविड-19 की जांच के लिए प्रचालनगत व्यय तथा सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 70 करोड़)।
- (ii) स्वदेशी टीका विकसित करने और कोविड-19 संबंधी अन्य समाधानों और परीक्षण संबंधी क्रियाकलापों के सहायतार्थ 'जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास' स्कीम हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 250 करोड़)।
- (iii) भारत की जैव-प्रौदयोगिकी और स्वास्थ्य देखभाल स्टार्ट-अप्स को परिमाण में बढ़ने के लिए और वास्तव में "मेड इन इंडिया, गोइंग ग्लोबल' बनने का प्रोत्साहन दिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए बनी 'औदयोगिक एवं उद्यमशीलता विकास' स्कीम पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 100 करोड़)।
  - इस अनुदान के इसी भाग के तहत उपलब्ध बचतों को देखते हु ए, इसमें ₹ 350 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

- meeting operational expenditure and expenditure towards Grants in aid-General for testing of COVID 19 (₹ 70 crore) under "Assistance to Autonomous Institutions".
- (ii) meeting expenditure towards scheme of 'Biotechnology Research and Development' to support indigenous vaccine development and other COVID 19 solutions and testing related activities (₹ 250 crore)
- (iii) meeting expenditure towards scheme 'Industrial & Entrepreneurship Development' to ensure India's biotech and healthcare start-ups a fillip to scale and become truly "Made in India, Going Global" companies (₹ 100 crore)

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of  $\stackrel{?}{\scriptstyle{\sim}}$  350 crore.

#### मांग संख्या DEMAND NO 92

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 109 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹ करों:	ਫ਼ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		9557.57	9557.57
पूंजी	Capital		546.00	546.00
जोड़	Total		10103.57	10103.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	10103.58	10103.58
राजस्व	Revenue	***	9557.58	9557.58
पूंजी	Capital		546.00	546.00
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत रि	देखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the	e following Major	Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2 2225-अनु स्चित जाति, अनु स्चित जनजाति, अन्य	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,		0.01	0.01
पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Other Backward Classes and Minorities			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(1) व्यय पूरा करने के लिए (i) अनु सूचित जाति (₹ 81 करोड़) के लिए मुफ्त योजना के तहत अनुदान सहायता और अनु सूचित जाति उप-योजना (₹ 5 करोड़) के लिए विशिष्ट केंद्रीय सहायता (ii) अनु सूचित जाति (₹ 127 करोड़) को उच्च कक्षा शिक्षा के तहत छात्रवृति/वजीफा (iii)वंचित इकाई समृह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विश्वास) योजना की नई स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां अनु सूचित जातियों के लिए (₹ 32.13 करोड़) तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए (₹ 32 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

(1) For meeting expenditure towards (i) Grants in aid General under Scheme Free Coaching for SCs (₹ 81 crore) and Special Central Assistance to SCs sub-plan (₹ 5 crore) (ii) Scholarships/Stipend under Top Class Education for SCs (₹ 127 crore) (iii) Subsidies under New Scheme Vanchit Ikai Samooh Aur Vargon ki Arthik Sahayata (VISVAS) Yojana (₹ 32.13 crore) for SCs and for OBCs (₹ 32 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 94

### अंतरिक्ष विभाग

#### **DEPARTMENT OF SPACE**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 देखिये)

(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोड़ ) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड़ Total Charged Voted I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व 5703.60 5704.20 Revenue 0.60 पूंजी Capital 7774.87 7775.27 0.40 जोड 13479.47 13478.47 Total 1.00 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 0.01 0.01 पूंजी Capital 0.01 0.01 ... जोड Total 0.02 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1.00 13478.49 13479.49 राजस्व Revenue 0.60 5703.61 5704.21 7774.88 पूंजी Capital 0.40 7775.28 ॥. इस पूरक अन्दानका हिसाब निम्नलिखित म्ख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head भारित स्वीकृत जॊड़ Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3402-अंतरिक्ष अनु संधान 3402-Space Research 0.01 (कa) 0.01 पूंजी भाग CAPITAL SECTION म्ख्य शीर्ष MAJOR HEAD 5402-अंतरिक्ष अनु संधान पर पूंजी परिव्यय 5402-Capital Outlay on Space Research 0.01 (खb) 0.01 Total (Supplementary) 0.02 जोड़ (पूरक) 0.02

(क)	क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सी.बी.पी.)(रु. 0.75 करोड़) और लाँच सेवाओं
	(₹ 50 करोड़) के राजस्व भाग के लिए 'सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
(ख)	आदित्य (₹ 4.70 करोड़), जीसैट-29 (₹ 5 करोड़) और रिसैट-1ए (₹ 62.50 करोड़) के अन्य पूंजीगत व्यय हेतु मशीनरी और उपस्करों का व्यय पूरा करने के लिए।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक अनुदानमांगा जाता है।

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards 'Grant-in-aid General' for Capacity Building Programme (CBP) (₹ 0.75 Crore) and Revenue share for launch services (₹ 50 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
 (b) meeting expenditure towards Machinery & Equipments for ADITYA (₹ 4.70 Crore), GSAT-29 (₹ 5 Crore) and Other Capital Expenditure of RISAT-1A (₹ 62.50 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of

the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 95

## सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(See page 112 of all Delinariae for S	rante of contrat covernment for the year 20.	20 202 1)		
			(₹ करॉ	ड़ ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		5426.05	5426.05
पूंजी	Capital		17.95	17.95
जोड़	Total		5444.00	5444.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	<b>:</b>		
राजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total	•••	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	5444.01	5444.01
राजस्व	Revenue		5426.06	5426.06
प्ंजी	Capital		17.95	17.95
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के 3	ांतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for ur	nder the following Major Head	l:	
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	***	0.01	0.01

यह प्र्क अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"भारत में सांख्यिकीय गुणवता सुधार हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम" नई स्कीम के लिए व्यय पूरा करने के लिए (र 30.40 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards new Scheme "National Programme for Improving Quality of Statistics in India" (₹ 30.40 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 97

#### कपड़ा मंत्रालय

#### MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करोंड ) (In ₹ crores)

			(	( 97(15 )	(III & CIOIE.	5)
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	***	3463.76		3463.76	
पूंजी	Capital	***	51.03		51.03	
जोड़	Total		3514.79		3514.79	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue	***	0.02		0.02	
पूंजी	Capital	***				
जोड़	Total	•••	0.02		0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	***	3514.81		3514.81	
राजस्व	Revenue		3463.78		3463.78	
पूंजी	Capital	•••	51.03		51.03	
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अ	ांतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un	nder the following Major H	lead			
		भारित	स्वीकृत		जॊड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa)	0.01	
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(खb)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.02		0.02	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 15.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) निन्निलिखित व्यय पूरा करने के लिए (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम तथा अन्य देयताओं का निपटान करने के लिए 'सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता' स्कीम के रूप में अन्य केन्द्रीय क्षेत्र के व्यय के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 200 करोड़) और (ii) मृल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत कपास निगम द्वारा 'कपास की खरीद' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियां (₹ 200 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

Meeting expenditure towards: GIA General (₹ 15.00 crore) under the scheme 'National Technical Textiles Mission'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under Other Central Sector Expenditure as 'Support to PSUs' for clearing the VRS and other liabilities of PSUs (₹ 200 crore) and (ii) Subsidies under the scheme 'Procurement of Cotton by Cotton Corporation under Price Support Scheme' (₹ 200 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

#### मांग संख्या DEMAND NO 98

#### पर्यटन मंत्रालय

### MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

		,		/≆ ऋगेन	) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	(६ कराड़	) (III र CI OI ES) जोड
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:	Chargod	Volod		Total
<i>ा. जूस आयुपाना.</i> राजस्व	Revenue		2499.83		2499.83
पूंजी	Capital	***			2499.03
्र जोड	Total	***	2499.83		2499.83
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required		2499.03		2499.03
पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required	•			
राजस्व	Revenue		6.26		6.26
पूंजी	Capital		0.20		0.20
जोड जोड	Total		6.26		6.26
जोड़ (मूल और प् <b>रक</b> )	Total (Original plus Supplementary)		2506.09		2506.09
राजस्व	Revenue		2506.09		2506.09
पूंजी	Capital	···			
701	•		•••		•••
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के 3				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u	ander the following Major Head भारित	स्वीकृत		जৌड
			Voted		Total
A	DEVENUE OF OTTON	Charged	voted		Iotai
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3452-पर्यटन	3452-Tourism		0.01	( <b>क</b> a)	0.01
3601-राज्य सरकारों को	3601-Grants-in-aid to State Governments		6.25	(खb)	6.25
सहायता अनुदान	T. (17)				
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	6.26		6.26
		<del> </del>		· — —	×
	<b>टिप्पणी:</b> अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों समायोजित किया जाता है!	। म नाच दशाई गया वस्तिया का शाम	मल नहां ।कया गया ह	ाजन्ह व्यय	म स घटाकर
	•	a da mat talva inta account the re	anusina abaum d	مامنطين بيمام	
	Note: The above estimates of additional requirements	s do not take into account the re	coveries shown b	eiow, wilich	ale
77-77-2 477-7	adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
3601-राज्य सरकारों को	3601-Grants-in-aid to State Governments		(-)6.25		(-)6.25

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सहायता अन्दान

(क) निर्भया निधि को निधियां अंतरित करना (₹ 6.25 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) निर्भेया निधि में से 'महिलाओं के लिए पर्यटन के सुरक्षित गंतव्य' स्कीम के अंतर्गत 'सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए (₹ 6.25 करोड़)।

> चूंकि 'महिलाओं के लिए पर्यटन के सुरक्षित गंतव्य' स्कीम के अंतर्गत व्यय 'निर्भया निधि', में से पूरा किया जाएगा।, इसमें कोई निवल नकद व्यय नहीं नेमा।

The supplementary Grants are required for:

a) transfer of funds to Nirbhaya Fund (₹ 6.25 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) providing 'Grants-in-Aid General' under the scheme 'Safe
Tourist Destination for Women' from Nirbhaya Funds
(₹ 6.25 crore)

As the expenditure under the scheme 'Safe Tourist Destination for Women' will be met from 'Nirbhaya Fund', the above expenditure will not entail any net cash outgo.

#### मांग संख्या DEMAND NO 100

## महिला और बाल विकास मंत्रालय

### MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 देखिये)

(See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

			(₹ करॉ	ड़ि ) (In ₹ crores		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		30507.09	30507.09		
पूंजी	Capital		0.01	0.01		
जोड़	Total		30507.10	30507.10		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
राजस्व	Revenue	***	***	•••		
पूंजी	Capital		5.00	5.00		
जोड़	Total		5.00	5.00		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		30512.10	30512.10		
राजस्व	Revenue	•••	30507.09	30507.09		
पूंजी	Capital		5.01	5.01		
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		भारित	स्वीकृत	जॊड़		
		Charged	Voted	Total		
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
म्ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare		5.00	5.00		

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय पोषाहार मिशन - कार्यक्रम घटक (पोषाहार में एकीकृत शिक्षा) के तहत मुख्य निर्माण कार्यों पर हु एव्यय पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हु ए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

For meeting the expenditure towards Major Works under National Nutrition Mission- Programme Component (Integrated Education in Nutrition) (₹ 5 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

#### मांग संख्या DEMAND NO 101

## युवा मामले और खेल मंत्रालय MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2020-2021)

(₹ करॉड़ ) (In ₹ crores)

			(	t mtis ) (III t Ciores)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
l. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2775.90	2775.90
पूंजी	Capital		51.02	51.02
जोड़	Total		2826.92	2826.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.02	0.02
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2826.94	2826.94
राजस्व	Revenue		2775.92	2775.92
पूंजी	Capital	•••	51.02	51.02
	II. इस पूरक अनुदानका हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अं	तर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for un	der the following Major H		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services		0.01	(कa) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.02	0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) राष्ट्रमंडल खेल स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 75 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्गत प्ंजीगत आस्तियों के स्जन के लिए अनुदान (₹ 3.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

 (i) Other Charges under the scheme Commonwealth Games (₹ 75 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 3.50 crore) Taking into account the savings available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.